हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 दिसम्बर, 1978

खण्ड 3 अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 26 दिसम्बर, 1978

भाोक प्रस्ताव	(1) 1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(1) 9
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(1) 31
घोशनाएं (क) अध्यक्ष द्वारा– 1. सभापतियों के नामों की सूची 2. याचिका समिति	 (1) 40 (1) 40
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव	(1) 42
बहिर्गमन	(1) 48
मेज पर रखे गए कागज–पत्र	(1) 49
मेज पर पुनः रखे गए कागज पत्र	(1) 50

अनुपूरक अनुमान पे ा करना	(1) 52
प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पे ा करना	(1) 52
संविधान (पैंतालीसवां सं ाोधन) विधेयक 1978 के अनुसमर्थन सम्बन्धी सरकारी संकल्प (चर्चा 28.12.1978 तक स्थगित)	(1) 52
भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन सरकारी संकल्प	(1) 58

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 दिसम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, अब भाोक प्रस्ताव होगा।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): अध्यक्ष महोदय, गत विधान सभा सत्र के प चात् आज तक के समय कै दौरान दे ा की कुछ महान विभूतियां इस संसार को छोड़ कर चल बसी। परम्परा के अनुसार इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलियां देने का कार्यक्रम हुआ करता है। अध्यक्ष महोदय, गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा0 जीवराज मेहता जो गुजरात के हाई कमि नर भी रहे थे, वे 7 नवम्बर, 1978 को देहावसान कर गए। आपका जम्न एक छोटे से भाहर में सन् 1887 में अमरेली नामक स्थान पर, जो

भूतपूर्व सौराश्ट्र राज्य का एक छोटा सा भाहर है, उसमें हुआ। आपने भारत में और भारत के बाहर ि ाक्षा प्राप्त की और बड़े सफल चिकित्सक रहे। बम्बई मैं प्रैक्टिस करते रहे और मैडिकल कान्फ्रैंस के कई बार अध्यक्ष चुने गए। 1930, 1943 तथा 1945 में तीन बार अध्यक्ष पर पर चुने गए। आने राश्ट्र पिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे नमक आन्दोलन में भाग लिया और 'भारत छोड़ो' आन्दोलने में भाग लेने के कारण कई बार जेल यात्रा की। 1947 में भारत सरकार की मिनिस्टरी आफ हैल्थ में सैक्रेटरी के पद पर और बाद में डायरेक्टर जनरल आफ मैडिकल सर्विस के रूप में काम किया। आप बम्बई में मिनिस्टर आफ पब्लिक वर्क्स भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और लोक सभा में फरवरी, 1971 में चुन कर आए। आप एक महान चिकित्सक, सफल नेता, कु ाल राजनीतिज्ञ तथा अच्छे दे ाभक्त थे। उनका इस संसार से विदा हो जाना दे ावासियों के लिये बड़ा कश्टदायक है।

इसके बाद, गुजरात के भूतपूर्व उप मुख्य मंत्री श्री कान्ति लाला घिआ, 5 दिसम्बर को इस संसार में चल बसे। आपका जन्म अहमदाबाद में 5 फरवरी 1922 को हुआ था। आपने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वाधीनता के बाद ग्रामों में बसने वाला समाज जो सूदखोरों से पीड़ित तथा भाोशित था, उनको मुक्ति दिलाने के लिए राज्य में चल रहे सहकारिता आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप गुजरात विधान सभा में 1967 से 1974 तक सदस्य रहे, कुछ देर

वित्त मंत्री भी रहे और बाद में उप मुख्य मंत्री के पद पर आसीन रहे। उनका निधन हो जाने से हमने एक योग्य प्र ाासक खो दिया जिनकी इस समय बड़ी आव यकता थी।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार केरला प्रदे ा के भूतपूर्व फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर श्री ई0 जान जैकबका देहावसान 26 सितम्बर 1978 को हो गया। आपने अपना राजनीतिक जीवन कृशि समाज की सेवा में प्रारम्भ किया था। आप केरला कांग्रेस के जन्मदाता भी थे। आप अनेक पदों पर रहे और दल के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे। आप चार बाद विधानसभा में चुन कर आए और अप्रैल 1977 में भी चुने गए थे। उनके अकस्मात निधन से स्पीकर साहब, कृशि हितों की रक्षा करने वाला एक प्रमुख व्यक्ति इस संसार से चला गया जिसके कारण इस सदन को बड़ा कश्ट है।

इसी प्रकार स्पीकर साहब, श्री सूर्य नारायण, संसद सदस्य श्री देवरस पाटिल, भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री पी0एस0 पाटिल, भूतपूर्व संसद सदस्या, श्री नफीसुल हसन, भूतपूर्व संसद सदस्य कु0टी0 वेदकुमारी, भूतपूर्व संसद सदस्या, श्री पट्टीय्म गोपालने, भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री एन0पी0 दामोदरन, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा श्री भाम्भू नाथ भुक्ला, भूतपूर्व संसद सदस्य जैसी महान विभूतियों से हमारी संसद भाोभायमान होती रही लेकिन इन्हीं दिनों में इनका देहावसान होना, संसार को छोड़ कर चले जाना बड़ा खेदजनक है। ये महानुभाव जनता के कार्य में बड़े

प्रवीण थे जनता की भलाई के लिये बढ़चढ़ कर भाग लिया करते थे दे ा को नई दि ाा देने में इनका बड़ा योगदान है। इन महानुभावों के संसार से चले जाने पर हर व्यक्ति को दुख होना स्वाभाविक है।

स्पीकर साहब, पिछले दिनों 28 सितम्बर, 1978 को पोप जान पाल फर्स्ट जिनको थोड़े ही दिन पोप बने हुए हुआ था, इस दुनिया से चले गए। इनका जन्म 17 अक्तूबर, 1912 को हुआ था जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतम भाग नार्थ ईस्ट इटली में व्यतीत किया था। छोटी से आयु में उन्होंने धार्मिक कामों में प्रवे ा किया। 7 जुलाई 1935 को ईसाई मत के अनुसार इन्होंने सन्यासी का वे ा धारण करना स्वीकार किया था। 10 साल तक ये डिप्टी डायरैक्टर इन दी बेलूनो सेमिनरी में काम करते रहे और सासरी बातों पर बड़ा गहन अध्ययन करते रहे। पोप पाल चतुर्थ जब 6 अगस्त 1978 को स्वर्गवास हुए तो उनकी जगह पर आपको पदासीन किया गया था। आप एक महान आत्मा, भाुद्ध आत्मा थे और अकस्मात इस संसार से चले गए। आज सारा संसार इनके निधन से भाोकाकुल है।

बैलेरियन कार्डिनल ग्रेसियस, बम्बई का निधन 12 सितम्बर 1978 को हुआ। इनका जन्म कराची में 23 अक्तूबर 1900 में हुआ था और बहुत साधारण स्थिति से बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गए और कार्डिनल ग्रेसियस के पद पर पहुंच गए। उन्होंने डाक्टरेट इन थियोलोजी की थी और 1926 में पादरी का पद प्राप्त

किया। ये भारत के प्रथम पादरी थे। 1954 में वि ापों की सभा ने उन्हें भारत में कैथोलिक वि ाप कांफ्रैंस की स्थायी समिति का चेयरमैन चुना और इस पद पर वे 17 वर्श तक रहे। बम्बई में इन्टरनै ानल युकैरिस्टिक कांग्रेस के सम्मेलन में इन्होंने योगदान दिया था। स्पीकर साहब, इनका सारा जीवन गरीबों की सेवा में बीता है। इनके चले जाने के कारण आज हमारे सारे राश्ट्र को गहरा दुःख है। इन्सानों की सेवा करने वाले महापुरूश का इस संसार से चले जाने पर कैथोलिक कम्युनिटी को गहरा आघात पहुंचा है और हम भी उनके दुख से भाोकाकुल हैं।

स्पीकर साहब, 30 सितम्बर को इसी वर्श राश्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के भूतपूर्व महा मंत्री श्रद्धेय माधव राव मुले जी का देहावसान पूना में हुआ। स्पीकर साहब, उनका जन्म रत्नागिरी जिले में हुआ था। वह रत्नागिरी जिला जिसने वीर साबरकर जैसे दे ा भक्त को जन्म दिया। वीर साबरकर जी के व्यक्तित्व से सभी भली भांति परिचित हैं। भारत माता को स्वाधीन कराने के लिये एक व्यक्ति में कितना साहस हो सकता है, यह उनके जीवन से पता लगता है। चलते हुए जहाज में से छलांग लगाना, मीलों तैर करके तट पर पहुंचना और अंडेमान जेल की यातनाएं सहना कोई कम बात नहीं है। आज तो जेल यात्रा उतनी कठिन नहीं रह गई है। स्पीकर साहब, वे छोटी सी आयु में अपने मामा जी कें यहां नागपुर पढ़ने के लिए गए। वहां उनकी भेंट आर0एस0एस0 के संस्थापक श्री हैडगवार के साथ हुई। उनके महान व्यक्तित्व से

प्रेरित होकर और अपने व्यक्तिगत जीवन को तिलांजलि देकर अपने आप को समाज की सेवा के लिये प्रस्तुत किया। इन्होंने 1940 में उत्तरी भारत में प्रवे ा किया और यह उनके अनथक प्रयासों का ही फल है कि आज सारे उत्तरांचल के हजारों नवयुवक दे ा भक्ति की भावना से ओतप्रोत है।। और समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये एक कु ाल संगठक थे। इन्होंने कई बार जेल काटी। अभी अभी जब ताना ााहों ने भारत के संविधान को पंगु बनाकर नारायण जी ने आन्दोलन को बिगुल बजाया था तो उस समय भूगत रह कर, अस्वस्थ होने के बावजून भी इन्होंने आन्दोलन का सफलतापूर्वक संचालन किया।

स्पीकर साहब, इन भाब्दों के साथ मैं अपने इस भाोक प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें ताकि भाोक संतप्त परिवार को इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि भेजी जा सके।

श्री बीरेन्द्र सिंह (अटेली): स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से जो भाोक प्रस्ताव रखा गया है। उस पर सारे हाउस को गहरा रंज है। अपोजि ान की तरफ से हम सभी सरकार के साथ इस रंज में भाामिल हैं। ये बड़े बड़े महाने दे ा भक्त थे जो हमारे बीच से उठ गए। इनमें से कुछ के साथ मेरे जाति ताल्लुकात भी थे। डा0 जीवराज मेहता 6 साल मेरे साथ पार्लियामैंट में रहे। हम रोज मिलते थे और असल में वे देवता थे। इतने अर्सा पौलिटिक्स में रहने के बाद भी जो सूझ बूझ, भाान्ति

और दे ा के प्रति सद्भावना मैंने उनमें देखी, वह बहुत कम लोगों में देखने में आती है। एक और नौजवान श्री सूर्य नारायण पार्लियामैंट के मैम्बर थे। उनकी मौत भी बहुत रंज–देह है। सिर्फ 42–43 साल की उमर में पार्लियामैंट की कार्यवाही में हिस्सा लेते लेते अनाचक दिल की बीमारी से उनका स्वर्गवास हो गया। इन सब लोगों ने दे ा की बहुत बड़ी सेवा की है और इनके बगैर दे ा को बहुत नुकसान हुआ है। इनमें से बहुत से कुदरती मौत गए। ज्यादातर सियासत के मैदान में इन लोगों ने काम किया। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होनें सियासत से बाहर रह कर भी दे ा की सेवा की जैसे आर0एस0एस0 के श्री मुले। उन्होंने भी दे ा के लिये जो काम किया उससे किसी को इन्कार नहीं हो सकता। पोप पाल ईसाई जगत के ही नहीं बल्कि वि व में इन्सानियत के बड़े अलम्बदार थे। 70 करोड़ लोगों के मत के वे मुखिया थे। उनके निधन पर भी सारी दुनिया को बड़ा अफसोस है।

स्पीकर साहब, एक और बड़े गहरे दुःख की बात अभी हुई। मैं तो उम्मीद करता था कि सरकार की तरफ से उनके लिये भी कुछ रैफरेन्स होगा। चौधरी देवी लाल जी तो पुराने सियासी वर्कर हैं, नेता हैं, लोगों के साथ जेलों में रहे भी हैं, ख्वाह आज वे जनता पार्टी में हों, ख्वाह कांग्रेस पार्टी में हो। अभी दो रोज का वाक्य है। अम्बाला सैंट्रल जेल में, हमारे एक साथी जो कांग्रेस (आई) के कालका के एक बहुत अच्छे नेता थे। श्री सरदारी लाल भाबनम वे अभी जो सत्याग्रह चला उसमें अपनी मर्जी से जेल में

आए थे और दिल का दौरा पड़ने उनकी मौत हो गई। दुःख की बात है कि दो घंटे वे तड़पते रहे। जेल के दरवाजे बन्द थे। भाोर मचाने के बावजूद भी कोई मैडिकल एड उनको नहीं मिली। लोगों ने ताले तोड़े, दिवारे फांदी, उसके बाद अधिकारियेां को खबर दी गई लेकिन दो घंटे तक कोई मैडिकल एड न मिलने के कारण वे हमारे हाथों में मर गए। मुझे यकीन था कि सारे हाउस को इसके ऊपर भी दुःख होगा और इस मौके पर हम यह सोचेंगे कि सिर्फ सत्याग्रहियों के लिये ही नहीं बल्कि जेल में जो भी व्यक्ति हों उन सब के लिये ऐसा बन्दोबस्त होना चाहिए कि तिब्बी इमदाद न होने के कारण किसी की मौत न होने पाए। (विघ्न)

Mr. Speaker: Rao Sahib, may I request you please not to inject any politica in that ..... (Interruptions)

Rao Birender Singh: I am not injecting any politics. May I request you please not to try to stop people from expressing their sentiments on this sorrow occasion ..... (Interruptions) .....

श्री अध्यक्षः भाोक प्रस्ताव पर आम तौर पर ऐसी बातें कहने की आव यकता नहीं होती।

Rao Birender Singh: We are associating ourselves with the Government's resolution. ..... (Interruptions) ..... and let us not make any controversy on these things ..... (Interruptions) ..... No, no if you talk like that ..... (Interruptions) ..... We have paid homage to all the people ..... (Interruptions) .....

Mr. Speaker: Rao Sahib, may I request you that nobody else has talked in that manners. Please do not inject any politics in it ..... (Interruptions) .....

Rao Birender Singh: Can't I suggest that Government should think of that measure to stop such happenings ? ..... (Interruptions) .....

Mr. Speaker: This is not the occasion

Rao Birender Singh: No, no. I am not doing this but I am supporting ..... (Interruptions) ..... R.S.S. workers should not have been mentioned there. Why create contreversy ? ....

Mr. Speaker: Rao Sahib, please sit down ..... (Interruptions) .....

Rao Birender Singh: I have only given suggestions, if the Leader of the House accepts ..... (Interruptions) .....

Mr. Speaker: When I am on my legs, Rao Sahib, you please sit down ..... (Interruptions) ..... मैम्बर साहिबान, भाोक प्रस्ताव का मौका एक ऐसा मौका होता है जिस पर स्वर्गवासियों की याद में जो विचार रखे जाएं उनके साथ हम भाामिल हों। मेरे ख्याल में यह मौका ऐसा नहीं है कि जिस पर हम सरकार के सामने कोई डिमांडज रख सकें चाहे वह मैडिक्ल एड की हो या किसी और चीज के लिये हो। मेरे ख्याल में तो ऐसा करना जो बिछड़े हुए आदमी है, उनकी भाान के खिलाफ जाता है। इसीलिये मैं आप सब साहिबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि भाोक प्रस्ताव के

अन्दर किसी किस्म की पौलिटिक्स या डिमांडज नहीं आनी चाहिए। I should be purely relating to the departed souls, their service to the country and whatever it may be and our association with their ideas ..... (Interruptions) .....

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब उनको दुख है तो हमें भी दुख है।

श्री भाम ोर सिंहः अभी पहले अमरजैंसी के बारे में और दूसरी बातों के बारे में काफी जिक्र किया गयां अब यह कहा जा रहा है कि पोलिटिक्स की बाते हैं, क्या उस समय पोलिटिक्स की बातें नहीं थी ? (ाोर)

डाक्टर मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं इस कन्ट्रोवर्सी को खत्क कर देता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंहः हम अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। अगर आप इजाजत नहीं देत हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। आप लीडर आफ दी हाउस से पूछ लें, अगर उनका नाम और एड कर लें तो उनको क्या दिक्कत है ?

डाक्टर मंगल सैनः मैं उनकी भावनाओं का आदर करता हें। मेरे नेता ने मुझे अभी कहा है कि उनका नाम भी भाामिल कर लें। राव साहब आप हमारे जजबात की कदर कीजिए। आप आज दूसरी पार्टी में भाामिल हो गये हैं तो कोई बात नहीं है। (ाोर)

राव बीरेन्द्र सिंहः * * * * * *

*

Mr. Speaker: I will not tolerate any aspersion on the Chair.

Rao Birender Singh: It is not an aspersion.

Mr. Speaker: I will not tolerate any aspersion, whatsoever being cast, on the Chair.

डा0 मंगल सैनः आप क्यों कन्ट्रोवर्सी में पड़ते हैं। आपको बोलने का और बड़ा मौका मिलेगा उस टाईम पर बोल लें।

राव बीरेन्द्र सिंहः अगर आपने हमारे जजबात की कदर की है तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं। * * * *

* * *

आपने बड़ी कृपा की है कि उनका भी नाम शामिल कर लिया है।

डाक्टर मंगल सैनः कृपा नहीं, यह तो हमारी ड्यूटी है।

स्थानीय प्र ाासन मंत्री (चौधरी राम लाल वधवा): मेरी रिक्वेस्ट है कि ये शब्द जो इन्होंने कहे हैं कि * * *

* * * यह हाउस की कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

Mr. Speaker: These words should be expunged.

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुझे तो इतना ही कहना था कि जितने भी दे ा भक्त हुए हैं उन सभी का नाम भाामिल होना चाहिये। मैं इन भाब्दों के साथ इन सब दे ाभक्तों को जो दुनिया से चले गये हैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि पे ा करता हूं।

चौधरी हरस्वरूप बूरा (महम): अध्यक्ष महोदय, जो भाोक प्रस्ताव डाक्टर मंगल सैन जी ने हाउस के सामने रखा है, मैं भी उसमें अपने आपको भारीक करता हूं। मैं उन महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिन्होंने इस दे ा के लिये महान कार्य किये हैं। अध्यक्ष महोदय जी भी व्यक्ति इस संससार में आया है उसे एक दिन अव य जाना है, मौत से कोई बच नहीं सकता। अरविन्द जी ने कहा है – "Death is necessary for the evolution of a new being" उन्होंने आगे कहा है – "Death is a necessity to find a greater life'. अध्यक्ष महोदय, जो महान विभूतियां हमारे बीच से चली गई हैं, अगर उनके जीवन को सही रूप से देखें तो हमें बड़ी महान ि ाक्षा मिलती है। उन्होंने चाहे राजनैतिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में या किसी भी अन्य क्षेत्र में जो भी कंट्रीब्यू ान दिया है जो भी कार्य किया है उसको भूला नहीं जा सकता। आप जानते हैं कि मौत तो मौत ही है चाहे वह किसी दे ाभक्त की हो, चाहे स्वतंत्रता सैनानी की हो या किसी छोटे व्यक्ति की हो उसको भूला नहीं जा सकता। इसलिये आज जो महान विभूतियों हमारे बीच से चली गई हैं, उनको मैं हृदय से

श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस भाोक प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

स्वामी अग्निवे ा: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर मंगल सैन जी ने हाउस के सम्मुख जो भाोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं परन्तु हरियाणा प्रदे ा की एक बहुत बड़ी महान विभूति का नाम इस भाोक प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया है जिनसे कुछ न कुछ सम्पर्क हरेक हाउस के मैम्बर का रहा होगा और दे ा का हर व्यक्ति उनके नाम से परिचित हैं, वे हैं डाक्टर विद्यासागर जो रोहतक मैडिकल कालेज में डाक्टर रहे हैं। इसलिये मेरा डाक्टर मंगल सैन जी से निवेदन है कि उनका नाम भी भाामिल किया जाये। हरियाणा प्रदे ा तथा दे ा के सभी लोग जानते हैं कि वे कितने दयालु और करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने दे ा की बहुत भारी सेवा की और एक मि ानरी के रूप में काम करने की प्रेरणा दी। इसलिये इन महान विभूतियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनसे हमें प्रेरणा भी प्राप्त करनी चाहिये। मैं सभी महान दे ाभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को भाान्ति दें।

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन): स्पीकर साहब, मैं विभाग की ओर से क्षमा चाहता हूं कि हम डाक्टर विद्यासागर का नाम भूल गये, उनका नाम भी अव य भाामिल होना चाहिये था। ऐसी भाुद्ध आत्का का यहां पर नाम आना ही चाहिये। उनका नाम

रह गया है, इस भूल को मैं स्वीकार करता हूं। स्वामी जी ने ठीक ही कहा है कि डाक्टर विद्यासागर जी एक महान आत्मा थे। वे बड़े भारी मानसिक चिकित्सक थे। उन्हौंने दे ा के लोगों की कड़ी भारी सेवा की है। उनके बारे में मुझे स्वयं का अनुभव है कि उनके लिये दिन और रात में कोई अन्तर नहीं था। जब भी हम किसी मरीज को लेकर उनके पास गये तो वे कहते थे कि अभी समय नहीं है। इसलिये आप रात के दो बजे ले आयें। जब हम दो बजे रात को उनके पास पहुंचे तो वे वहां बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे होते थे। उनको हर समय पचास साठ व्यक्तियों का जमघट घेरा दिये रहता था। उनमें कोई हंस रहा होता था, कोई रो रहा होता और कोई आंखें बन्द किये हुए बैठा हुआ होता था लेकिन ऐसी परिस्थितियों के बावजूद वे बड़ी भाान्ति के साथ उनकी बीमारी के विशय में बातचीत करते रहे थे। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि उत्तर भारत में उनके बराबर का कोई चिकित्सक नहीं है। मैं उनके विशय में यह भी बता दूं कि वे खाली चिकित्सक ही नहीं थे बल्कि आर्य समाज के बड़े महान नेता भी थे। मुझे साप्ताहिक सत्संग में उनके विचार सुनने का अवसर मिला है, उनके बहुत ही भाुद्ध विचार थे। इसलियें मैं डाक्टर विद्या सागर का नाम भी इस सूचि में सम्मिलित करता हूं और उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

लोक कार्य मंत्री (श्री लछमन सिंह): स्पीकर साहब, जो व्यक्ति इस संसार में आया है वह एक दिन चला जायेगा। अपनी

बारे के अनुसार ये महान विभूतियां हमारे बीच सै चली गई हैं। मुझे यहां पर खासतौर पर डाक्टर विद्यासागर के विशय में कहना है। जब मैं जेल में था, उस वक्त उनसे मिलने का अवसर मिला था। वे बहुत ही महान आदमी थे। गलती से उनका नाम रह गया। मैं तो उनके बारे में यह कहूंगा कि उनसे बेहतर डाक्टर देखने मैं नहीं आया। वे लाहौर से ही बहुत म ाहुर डाक्टर रहे हैं। इन लफ्जों के साथ मैं उन सभी स्वर्गवासियों को श्रद्धांजलि अर्पि करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (नारायणगढ़): स्पीकर साहब, डा0 विद्या सागर के बारे में जितना भी कहा जाये उतना ही थोड़ा है। जब मैं जेल में था तो मुझे अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता था। पुलिस मेरे बच्चों को परे ाान करती थीं। मैं बीमार होकर रोहतक हास्पिटल में आ गया। डाक्टर विद्या सागर ने मेरी बीमारी का एक कारण यह भी महसूस किया था कि इसके बच्चों से न मिलने देने के कारण बीमारी है। एमरजैंसी के अन्दर डा0 विद्या सागर ने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि मेरे को जेल में बन्द कर दिया जाये परन्तु लाल सिंह के बच्चौं को छोड़ दिया जाये। उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा था कि एमरजैंसी में बहुत भारी जुल्म हो रहे हैं पंजाब के मिनिस्टरों को भी चिट्ठी लिखी थी कि एमरजैंसी में बहुत भारी जुल्म हो रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि ऐसा डाक्टर पैदा होनी ही मु कल है। उनको जो भी तनखाह मिलती थी उसको भी गरीबों को बांट देते थे। जो हमारे दूसरे महानुभाव

गुजरे हैं, उनके बारे में भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को भाान्ति दे औरउसके परिवारों को इस दुःख को बरदा त करने की भाक्ति प्रदान करें।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला कैंट): अध्यक्ष महोदय, डाक्टर मंगल सैन जी ने भाोक प्रस्ताव हाउस के सम्मुख रखा है, मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संतप्त संवेदना प्रकट करती हूं। स्वामी अग्निवे ा जी ने बड़ी कृपा की है कि डाक्टर विद्या सागर जी का नाम भी इस भाोक प्रस्ताव में सम्मिलित करा दिया है। डाक्टर विद्यासागर हरियाण की एक महान विभूति थे जिनका अभाव भाताब्दियों तक दूर नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे उनके जीवन के काफी करीब से देखने का अवसर मिला था। डाक्टर मंगल सैन जी ने ठीक ही कहा है कि उनको यह पता ही नहीं होता था कि बि सुबह हुई और कब रात हो गई। वे सुबह छ बजे वाडो। के चक्कर काटने लग जाते थे और रात तक मरीजों को देखते रहते थे। वे मरीजों से बड़ा प्यार और स्नेह करते थे। उनका जीवन सभी हरियाणा निवासियों के लिये ही नहीं बल्कि दे ावासियों के लिये प्रेरण का स्त्रोत होना चाहिये। मैं अन्त में सक महानुभावौं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके प्रति प्रेरणा और आस्था प्रकट करना चाहती हूं कि हम उनके जीवन कै कुछ न कुछ ग्रहण करेंगे।

श्री अध्यक्षः साहिबान, स्वर्गवासी नेताओं के बारे में इस सदन में काफी कुछ कहा गया है। वह वाकई बहुत बड़े इंसान थे और उन्होंने दे ा की बहुत बड़ी सेवाएं कीं। डाक्टर जीवराज मेहता और श्री कांति लाल घिया, गुजरात के बड़े नेता थे। उन्होंने गुजरात की, दे ा की आजादी से पहले और आजादी के बाद मुख्तलिफ ओहदसें पर रहते हुए सेवा की। मिस्टर जान जैक्ब, केरल कांग्रेस के नेता थे और उन्होंने केरल की बहुत सेवा की। इसके अलावा मैम्बरान पार्लियामैंट जिनका जिक्र यहां पर किया गया है, उन्होंने भी अपने तौर पर दे ा की बहुत सेवा की। पोप जान पाल और कार्डिनल ग्रेसियस ईसाई धर्म के बड़े नेता थे और उन्होंने अपने धर्म और इन्सानियत की बहुत सेवायें की। श्री माधव राम भूले, साबिक जनरल सैक्रैट्री, आर0एस0एस0 ने बचपन से ही इस संस्था के लिय और दे ो की सेवा के लिये अपनी जान तक अर्पित की। श्री सरदारी लाल भाबनम एक बहुत नेक आदमी थे और एक बहुत बड़े नेता थे और डाक्टर विद्याा सागर जिनको मैं परसनली तो खुद नहीं जानता था लेकिन उनकी मैंने इतीन तारीफ सुनी है कि वाकई एक बड़ै ही देवता आदमी थे। इन सब स्वर्गवासी नेताओं के बारे में मेरे साथियों ने जो विचार और जो भावनाएं प्रकट की हैं, मैं उन भावनाओं के साथ अपने आपको भाामिल करता हूं। मैं इस सदन की भावनाएं और हमदर्दी की याद में और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये खड़े होकर दो मिनट के लिये मौन धारण करें।

(इस समय सदन ने खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहिबन, अब सवाल होंगे।

Shifting of Offices from Chandigarh

***760. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Chief Ministe be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift Head Offices of any Department from Chandigarh to District Headquartes; and

(b) if so, the names of such Departments ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): किसी विभाग के मुख्यालय को जिला मुख्यालय पर बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। किसी निगम, बोर्ड आदि के कार्यालय को चण्डीगढ़ से बाहर स्थानान्तरित करने के प्र न का निर्णय, प्रत्येक केस में सुविधा कार्य कु ालता और अन्य सम्बंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिजली बोर्ड के आफिस को हिसार ि ाफ्ट करने का फैसला किन आधारों पर किया गया और वह हिसार में ही ले जाने का किन कारणों से किया गया ?

चौधरी देवी लाल: यह एक आटोनोमस बोर्ड है और यह उन्होंनें अपने हालात के मुताबिक अपने काम काज के हिसाब से और एफी ीयैंसी को देखते हुए मैरिटस पर यह फैसला किया।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि कहीं इनके दिमाग में यह बात तो नहीं है कि आप चण्डीगढ़ को छोड़ना चाहते हैं ?

चौधरी देवी लाल: यह बात मेरे ख्याल में आनरेबल मैम्बर के दिमाग में भी नहीं है और न ही मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात है।

श्री जगन्न नाथ: मैं मुख्य मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से बिजली बोर्ड ने हिसार ि ाफ्ट करने का फैसला किया है, उसी तरह से एजुके ान बोर्ड को भिवानी ि ाफ्ट करने का फैसला किया गया था। क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उसको वहां पर ि ाफ्ट करने के बारे में क्या कोई कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

चौधरी देवी लाल: जहां तक मुझे मालूम है , अभी तक तो ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है। यह फैसला कन्सर्ड मिनिस्टर

और चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के साथ कर सकता है। अभी तक मेरे सामने कोई ऐसी तजवीज नहीं आयी है।

कंवर राम पाल सिंहः क्या मुख्य मंत्री महोदय ये बतायेंगे कि बिजली बोर्ड जो कि आटोनामस बौडी है, जैसे कि इन्हौंने बताया है , ने यह फैसला अपनी मर्जी से किया है या सरकार की मर्जी से किया है ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, बिजल बोर्ड का हैड क्वार्टर हिसार में ि ाफ्ट किये जाने के बारे में यह बात दुरुस्त है कि उसने यह फैसला सरकार से सलाह करके किया है।

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कोई भी आटोनोमस बौडी या कोई बोर्ड या कोई कारपोरे ान अपना हैड आफिस डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ट्रान्सफर करना चाहे तो क्या सरकार उसके लिए इजाजत देगी ?

चौधरी देवी लालः सरकार सारे हालात को सामने रखते हुए मैरिट के आधार पर और उस कारपोरे ान या बोर्ड को किस जगज जाने के लिये कैसी सहूलियतें चाहियें, यह सब देखकर फैसला करेगी।

श्री फतेह चन्द विजः क्या सी0एम0 साहब यह बतायेंगं कि क्या गवर्नमैंट ने बोर्ड को यह आदे ा दिया था कि वह अपना

हैड क्वार्टर हिसार में ि ाफ्ट करें या बोर्ड ने पहले सुजै ान दी थी जिसे गवर्नमैंट ने मंजूर कर लिया ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जब यह देखा गया कि बोर्ड या हैड क्वार्टर तो चण्डीगढ़ में मौजूद है और इसका सारे का सारा काम हरियाणा की धरती पर होता है, यानी फील्ड में सारा काम होना है, इसलिये बोर्ड का यह सुझाव कि हैडक्वार्टर को हरियाण के अन्दर ि ाफ्ट किया जाये, मंजूर कर लिया गया।

चौधरी हर स्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बोर्ड का हैड क्वार्टर तबदील होने से क्या हरियाणा को बचत होगी, अगर होगी तो कितनी बचत होगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः कई लाख रुपये बिल्डिंगों का किरया जो बोर्ड यहां पर देता था, वह हिसार में जो हमारा मिनि–सैक्रेटेरियट बना हुआ है, उस जगह ि ाफ्ट करने से वह बच जायेगा। इस तरह से लाखों रुपये की सेविंग होगी।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कुछ कारपोरे ान्ज के यूनिटस तो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लैवल पर हैं और उनका हैड आफिस यहां पर है और यहां पर सिर्फ दो चार आदमी बैठे हुए हैं, जबकि उनके दो अढ़ाई सौ आदमी फील्ड में लगे हुए है। इस बात को ध्यान में

रखते हुए क्या उनके हैड आफिस भी डिस्ट्रिक्ट में तबदील करने की कृपा करेंगे ? (ाोर)

चौधरी पीर चन्दः मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड का जितना स्टाफ अभी भी यहां पर बैठा है, उसको कब तक हिसार पहुंचा दिया जायेगा और वहां पर उनके रहने के लिए क्या कोई प्रबन्ध किया गया है, अगर किया नहीं गया है तो कब तक प्रबन्ध हो जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अभी तक हमने प्लानिंग एण्ड कंस्ट्रक ान का आफिस ही हिसार में ि ाफ्ट किया है। बाकी का आफिस अप्रैल मई में ि ाफ्ट करने की तजवीज है। जहां तक उनके वहां पर रहने का ताल्लुक है, सरकार वहां पर एक कालोनी बिजली बोर्ड के एमप्लाईज के लिये बना रही है और यह उम्मीद है कि वह कालोनी 8–9 महीने में बनकर तैयार हो जायेगी। तब तक हमारी यह कोि ा ा है कि लोगां से वहां पर डिप्टी कमि नर के द्वारा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को मकानात तला ा करवाकर उन्हें मकानात दिलवायें जायें।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह फरमाया था कि बोर्ड एक आटोनोमस बौडी है और उन्होंने ि ाफ्ट करने का फैसला खुद लिया और बाद में मंत्री महोदय ने यहां पर बोलते हुए यह बताय कि सरकार की सलाह से यह फैसला किया गया है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से

यह पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट की तरफ से कोई डायरैक ान इ ू की गयी थी जिसका बिजली बोर्ड ने सिर्फ पालन किया है या उन्होंने सुजै ान दी और गवर्नमैंट ने उस सुजै ान को मान लिया ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जब यह बता जेरे गौर आयी तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी कंसल्ट किया गया। सरकार का अपनी तरफ से नजरिया यही था कि इन हालात में पैसे की बचत के लिये, काम की एफी ीयन्सी के लिये बिजली बोर्ड का हैड क्वार्टर हरियाणा के किसी जिला हैड क्वार्टर में ि ाफ्ट कर दिया जाये। इससे मेरे ख्याल में यह बात साफ जाहिर होती है कि हमने म्युच्वली फैसला किया और उसके बाद कानूनी तरीके से आर्डरज जारी कर दिये गये।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहब, मेरे सवाल का गोलमोल जवाब दिया गया है। और हाउस को मिसलीड करने की कोि ा ा की जा रही है। मेरा सवाल यह था कि आया गवर्नमैंट की तरफ से कोई डायरैक ांज इ ू की गई थी या नहीं। इनको इसका सीधा जवाब देना चाहिये था। ये कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ कहते हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उन्होंने खुद फैसला किया और आई0पी0एम0 साहब कहते हैं कि गवर्नमैंट की तरफ से डायरैक ांज इ ू होने के बाद ि ाफ्ट करने का फैसला किया गया। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बारे में गवर्नमैंट की तरफ से कोई डायरैक ांज

इ ा की गई थी या बिजली बोर्ड ने सुजे ान दी थी और गवर्नमैंट ने उसको माना था ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जब हैड क्वार्टर को ि ाफ्ट किया जाता है तो इस मामले में पालिस डिसिजन लिया जाता है और गवर्नमैंट की तरफ से डायरैक ांज इ ा होती हैं। कानूनी तौर पर जो अहक्माल इस मामले में जारी होने थे वे भी जारी हुए हैं।

श्री लहरी सिंह मेहराः मंत्री महोदय ने बताया है कि बिजली बोर्ड का काम हरियाणा में ज्यादा है इसलिये बिजली बोर्ड को हरियाणा की धरती पर ि ाफ्ट किया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, इसी प्रकार जैसे हरिजन कल्याण निगम है या हरियाणा ऐग्रो इंडस्ट्रीज के कार्यालय हैं जिनका काम हरियाणा की धरती पर होता है, उनको भी यहां से ि ाफ्ट करने की उनकी कोई सलाह है ?

श्री बीरेन्द्र सिंहः पहले जवाब दे दिया गया है। कि ि ाफ्ट करने का फैसला मैरिट पर किया जाता है।

श्री अध्यक्षः इस बारे में मंत्री जी पहले बता चुके हैं कि अगर किसी आफिस को ि ाफ्ट करने की स्कीम होगी तो उसका फैसला मैरिअ पर किया जाएगा। नैक्सट कवै चन लिया जाए।

राव बीरेन्द्र सिंहः सरकार की तरफ से कुछ भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। यह बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से

इस सवाल का गोलमोल जवाब दिया जा रहा है आपको इस सवाल का जवाब दिलाना चाहिये।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मैं इस सवाल पर और सप्लीमेंटरी पूछना चाहता हूं। यह बहुत जरूरी सवाल हें

श्री अध्यक्षः अगर हाउस इस पर बहुत कीन है तो आप मेरे पास लिखकर भेज दीजिए मैं उसकोम कंसीडर करूंगा। मैंने अगले सवाल के लिये कह दिया है इसलिये आप लिखकर भेज दें।

चौधरी ि ाव राम वर्माः मंत्री महोदय ने बताया है कि बिजली बोर्ड का ज्यादा काम हरियाणा की धरती पर होता है इसलिये उसको ि ाफ्ट किया गया है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमैंट का काम हरियाणा की धरती पर होता है और कौन कौन से डिपार्टमैंट का काम चंडीगढ़ की धरती पर होता है। (व्यवधान)

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप यह तो मानते हैं कि हाउस इस मामले पर वर्क्ड अप है इसलिये इस पर आधा घंटे का डिस्क ान हो जाए जिससे बात साफ हो जाएगी।

श्री अध्यक्षः अगर आप मेरे पास लिखकर देंगे तो मैं कंसीडर करूंगा।

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, इस बारे में मंत्री महोदय की तरफ से जवाब आना चाहिये। क्या मंत्री महोदय को

पता है कि बोर्ड को ि ाफ्ट करने से कितनी लोगों को अनुविधा हुई है ? (व्यवधान)

राव दलीप सिंहः स्पीकर साहब, यह बहुत इंपोरटैंट कवै चन है इसके लिये और टाईम मिलना चाहिये जिससे ज्यादा सप्लीमेंटरी की जा सकें।

Mr. Speaker: Please give me in writing and I will certainly consider it.

Strength of Police in the State

***759. Chaudhri Peer Chand, Shri Lehri Singh Mehra:** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state-

(a) the total strength of police in the State together with the number of DSPs, Inspectors, Assistant Sub-Inspectors, Havaldars, and Constables separately at present;

(b) the number of persons belonging to Scheduled Castes out of those referred to in part (a) above;

(c) whether the prescribed quota of 20 percent reservation for persons belonging to Scheduled Castes exists in all categories; and

(d) if the reply to part (c) above be in the negative, the steps, if any taken or proposed to be taken by Government

to complete the quota of reservation for Scheduled Castes furhter in recruitment to ful-fill the quota ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a)	D.S.Ps	60
	Inspectors	118
	Sub-Inspectors	378
	Asstt. Sub-Insprs.	545
	Havaldars	2304
	Constables	11643
(a)		
	D.S.Ps	1
	Inspectors	7
	Sub-Inspectors	19
	Asstt. Sub-Insprs.	35
	Havaldars	242
	Constables	1887
(c)	No	

(b) The State Government has given the following concession to make good the shortage :-

(i) The Scheduled Castes candidates have to pay only 25% of the fee prescribed for application forms for direct recruitment as compared to others.

(ii) They have been given relaxation of upto 5 years in the maximum age limit prescribed for recruitment.

(iii) 20% reservation is also available in the promotion posts of Class III employees.

(iv) Relaxation in height and chest measurement for recruitment to the posts of Constables.

(v) Minimum educational qualification is relaxed in case of Constables.

In pursance of the above policies of the Governmnet, every effort is being made to make good the shortage in the existing percentage of Scheduled Castes.

श्री लहरी सिंह मेहराः स्पीकर साहब, मुंत्री महोदय ने बताया है कि हरियाणा मैं साठ डी0एस0पी0 हैं और इनमें से हरिजन एक है। स्पीकसर साहब, मेरे ख्याल में सरकार के लिये इससे ज्यादा भार्मनाम बात और काई नहीं हो सकती। अगर हम इंस्पैक्टर्ज, सब इंस्पैक्टर्ज और असिस्टैंट सब इंस्पैक्टर्ज की परसैंटेज देखें तो वह पांच, चार, दस और तरह बैठती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस कमी को देखते हुए कोई कदम उठाने की सोच रही है और क्या सरकार

का ऐसा विचार है कि यह रिजर्वे ान पचास परसैंट कर दी जाये जब तक कि यह मौजूदा कमी पूरी न हो।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर ने कहा है कि डी0एस0पीज0 की साठ पोस्टों के अगेन्सट हरिजन केवल एक है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि डी0एस0पी0 की पोस्ट क्लास 2 पास्टे है और क्लास 2 की पोस्ट की डायरेक्ट रिक्रूटमैंट 1966 से लेकर जब से हरियाणा बना है, आज तक नहीं हुई है। जो पिछला बैकलोग हैं .....

श्री अध्यक्षः रिक्रूटमैंट क्यों नहीं होने पाई, क्यो कोई वेकेन्सी नहीं थी ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः डायरैक्ट रिक्रूटमैंट में बीस परसैंट रिजवे ान होती है और डी0एस0पी0 की जब तक वेकेन्सी न हो तब तक डायरैक्टर रिक्रूटमैंट नहीं हो सकती इसलिये डायरैक्ट रिक्रूटमैंट नहीं हुई। पिछली जो बैकलौग है उसको पूरा करने में काफी टाईम लगेगा। मैं एक बात आनरबल मैम्बर के नोटिस में लाना चाहता हूं कि 1978 में जनता सरकार के आने के बाद सिपाहियों की भर्ती की गई है, इंस्पैक्टर्ज और सब इंस्पैक्टर्ज की भर्ती नहीं की गई है, कुल 650 सिपाही भर्ती किए गए हैं और इनमें से 113 ि ाडयूल्ड कास्ट के और 40 बैकवर्ड क्लासिज के भर्ती किए गए हैं। ि ाडयूल्ड कास्ट की रिजर्वे ान की परसैंटेज 20 है लेकिन सिपाहियों की भर्ती में यह परसैंट बीस के मुकाबले

लगभग 25 बैठती है। हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रहे हैं। हम जल्दी ही नई भर्ती करने जा रहे हैं और इस बात के कड़े आदे ा दिए गए हैं कि जो रिजर्वे ान का कोटा है वह मुकम्मल किया जाए।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, अभी मिनिस्टर साहब ने बताया कि जनता सरकार के बाद सिपाहियों की भर्ती की गई है और वह भर्ती 20 प्रति ात से अधिक की गई हे। इंस्पेक्टर्ज और सब इंस्पैक्टर्ज की भर्ती इस रे ाों के मुताबिक नहीं की गई है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जनता सरकार के आने के बाद इंस्पैंक्टर्ज और सब इंस्पैक्टर्ज की कोई भर्ती नहीं की गई है।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, पिछले साल ि ाडयुल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के एक सैल की मीटिंग हुई थी और उसमें मुख्य मंत्री महोदय के इलावा चीफ सैक्रेटरी, फायन्नैंस सैक्रेटरी व अन्य सैक्रेटरी भी मौजूद थे और कुछ विधायक भी थे। उस मीटिंग में मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि प्रोमो ानज में 20 परसैंट रिजर्वे ान रखी जाएगी जैसा कि क्लास 1 में, 3 परसैंट, क्लास 2 में 3 परसैंट, क्लास 3 में 7 परसैंट और क्लास 4 में 27 परसैंट बताई गई है। वह जल्दी ही पूरी की जाएगी। मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि सब इंस्पैक्टर्ज और

इंस्पैक्टर्ज की कमी को पूरा करने के लिये सरकार कौन कौन से कदम उठाने जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः ऐसी किसी मीटिंग का मुझ ज्ञान नहीं है क्योंकि जिस वक्त यह मीटिंग हुई उस वक्त यह महकमा मेरे पास नहीं था। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जो नई रिक्रूटमैंट कन्सटेबलज की होगी उस बारे आदे ा दे दिये गये हैं कि जो रिजर्वे ान उनके लियें फिक्स की गई है। उसके मुताबिक उन्हें नौकरियों में जगह दी जाए। ए0एस0आई0 वगैरह तो बोर्ड द्वार नियुक्त होंगे।

चौधरी खुर ीद अहमदः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने अभी बताया कि पिछले 12 सालों से डी0एस0पीज0 डायरेक्ट भर्ती नहीं की गई है क्या इस 13 वें साल में ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन है जिसकै अन्तर्गत पिछलें बैकलौग को पूरा किया जा सके और हरिजनों को कोर्ट के मुताबिक भर्ती किया जा सके ?

श्री अध्यक्षः वे पहले ही बता चुके हैं कि जब तक वेकेन्सीज नहीं होंगी तब तक वे भर्ती कैसे करेंगे ?

श्री भाम ोर सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि प्रोमो ान में भी रिजर्वे ान रखने का कोई विचार है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, क्लास 3 में पहले ही 20 परसैंट रिजर्वे ान है।

श्री मूल चन्द जैनः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहबन ने बताया कि रिजर्वे ान पूरी दी जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कन्सटेबल्ज की जो रिजर्वे ान है वह भी उनकी परसैंटेज के अनुसार पूरी नहीं हो रही है। जब से जनता सरकार हकूमत में आई है 650 में से 133 वेकेन्सीज जो अभी मिनिस्टर साहब ने बताई हैं .....

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साब 650 नहीं जी 450 हैं।

श्री मूल चन्द जैनः मेरा कहने का मतलब यह था कि मिनिस्टर साहब के कहने के अनुसार रिजर्वे ान का कोटा पूरा नहीं बैठता और सरकार द्वारा जो सहूलतें दी गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फिक्स कोटा पूरा नहीं हो रहा है। क्या मिनिस्टर साहब और नई सहूलतों पर विचार करेंगे जिससे रिजर्वे ान का कोटा पूरा हो जाए ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक पिछले साल की भर्ती का सवाल है, 450 को 113 पर तकसीम किया जयें तो औसत लगभग 25 परसैंट बैठती है।

चौधरी सरदार खांः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 22 दिसम्बर, 1977 को मुख्य मेंत्री महोदय ने यह एलान किया था कि नौकरियों में मुसलमानों को भी रिजर्वे ान दी

जाएगी। क्या नौकरियों में भर्ती करते समय मुसलमानों का भी ध्यान रखा जाएगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक मुसलमानों की रिजर्वे ान का सवाल है वह तो कांस्टीटयू ानरी हो नहीं सकती। मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले साल एलान अव य किया था कि नई भर्ती चाहे किसी महकमे में हो, मुसलमानों को अकमोडेट किया जाए। यह जो पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें हम फैसला ले चुके हैं कि मुसलमानों को रिजर्वे ान दी जाए। (ाोर)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, हम तो यह पूछना चाहते हैं कि जो किसान हरिजनों से भी नीचे चले गये हैं, उनका क्या होगा ? जिनके बाप के पास जमीन नहीं, दादा के पास जमीन नहीं, उन किसानों का क्या होगा ? (ाोर)

Appoinment of Employees on Adhoc-Basis

***758. Shri Devender Sharma:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the Government issued any orders at the time of formation of Janata Government to regularise all those employees who were appointed on adhoc-basis; and

(b) if so, whether the orders mentioned in part (a) above were withdrawn later on ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल):

(क) राश्ट्रपति भाासन काल में एक ऐसा आदे ा जारी किया गया था

(ख) जी हां।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि राश्ट्रपति राज में एक ऐसा आदे ा जारी किया गया था और हमारे भाासन काल में नलीफाई कर दिया गया। क्या वे बतायेंगे कि राश्ट्रपति रूल की कोई हैमीयत होती है ? अगर उस भाासन काल की कोई हैमीयत होती है तो उनको नलीफाई क्यों किया गया, लोगों को बेरोजगार क्यों किया गया ?

चौधरी देवी लाल: इस को राश्ट्रपति भाासन काल में रेगुलेराइज किया गया था लेकिन अब एस0एस0एस0 बोर्ड के पास 80 हजार के करीब दर्खास्तें हैं और 11 लाख रुपये की फीस भी दाखिल हो गई है। अब एस0एस0एस0 बोर्ड वालों का यह रिप्रिजेन्टे ान आया है कि उन्हें अब काफी सारा रुपया वापिस करना पड़ेगा कुिछ रिलेक्से ान तो देनी चाहिये। इसलिये हमने लोगों को यह छूट दे दी है कि वे रेगुलर होने के लिये एस0एस0एस0 बोर्ड को अल्लाई कर सकते हैं।

श्री देवेन्द्र भार्मा: स्पीकर साहब, क्या मुख्य मंत्री बताने का कश्ट करेंगे कि जैसा कि इस बार राश्ट्रपति भाासन काल के

आर्डरों को नलीफाई किया गया है, इससे पहले भी कभी गवर्नर के आर्डर्ज को नलीफाई किया गया था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी लाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान, हिमाचल व दूसरी कई सरकारों ने गुजरों को बैकवर्ड करार दे दिया है, क्या हरियाणा सरकार भी ऐसा करने का विचार रखती है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

Homoeopathic and Ayurvedic Dispensaries in the State

***718. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Health be please to state-

(a) the district wise number of Homoeopathic dispensaries opened during the period from 4th July, 1977 to 30 June 1978 togetherwith their location in the State; and

(b) the district wise, Village wise and Block wise number of Ayrvedic dispensaries opened during aforesadi periods in the State ?

Public Works Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Nil.

(b) During thos period, three Ayurvedic Dispensaries were provincialised and three new Dispensaries were opened. Detailed information is placed on the table of the House.

Statement regarding Ayurvedic Dispensaries opened/provincialised during the period from 4th Ju,y 1977 to 30th June 1978.

Name of District		Number of Dispensaries opened	Name of Block		Name of village where dispensary opened	
1	Bhiwani	3	1	Badra	1	Lad
			2	Dadri	*2	Morewala
			3	Tosham	*3	Chhapar Baghran
2	Sonepat	1	1	Gannaur	1	Rajlugarhi
3	Rohtak	1	1	Nahar	*1	Gawalisan
4	Jind	1	1	Jind	1	Barsola

(*These dispensaries were provincialised)

स्वामी आदित्य वे I: अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार को हकूमत में आये लगभग 11 मास हो गये हैं और इस दौरान मैं सारे राज्य में एक भी होम्योपैथी की डिसपैंसरी नहीं खुली है।

लेकिन भिवानी, सोनीपत तथा जींद में तीन स्थानों पर आयुवेर्दिक डिसपैंसरियां खोल दी गई हैं। तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बाकी जिलों की अपेक्षा क्यों की गई ह`?

श्री लछमन सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य महोदय की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि इससे पे ातर होम्योपैथी इलाज पापुलर नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा पिकअप हुआ है और जहां तक आयुवेर्दिक डिसपैंसरियों का ताल्लुम है, वह कई जगहों पर खोली गई हैं और जिन जिन स्थानों पर डिसपैंसरियां नहीं खुली हैं, वहां खोलने का सरकार बंदोबस्त कर रही है।

15.00 बजे

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिस रफतार से यह डिसपैंसदिया खोली जा रही हैं। उसके मुताबिक कब तक लोगों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा और साथ ही यह भी बतायें कि सरकार का डिसपैंसरियों खोलने का क्या क्रायटेरिया है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, इनके क्वै चन में कन्फयूजन है, जहरा इसको इनसे क्लीयर करवा दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इन्होंने पूछा है कि डिपार्टमैंट इनकी मांगों को कब तक पूरा करेगा।

श्री लछमन सिंहः यह बड़ा डिटेल्ड क्वै चन है, ये लिखकर कर दे दें, हम इसका जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, हम जानना चाहते हैं कि मांग कब तक पूरी करेंगे और साथ ही यह भी बतायें कि डिसपैंसरी खोलने का क्या क्राइटेरिया है ?

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, यह महकमा कुछ दिन पहले मेरे पास था, इसलिये मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि इस साल हमने 30 डिसपैंसरयिा नई खोली हैं। डिसपैंसरियां खोलने का कायदा और नार्म्ज हैं जिसके अनुसार गांव वाले लोग बिल्डिंग बना कर देंगे। जो भी गांव बिल्डिंग बना कर देगा उसमें डिस्पैंसरी खोलने के लिये प्रायरिटी पहले दी जाती है। (व्यवधान) मेरे पास यह महकमा था इसलिये मैंने आपको बताया है।

श्री अध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, अगर बिल्डिंग न बन सकेत तो क्या डिसपैंसरी खोलेंगे ही नहीं ?

चौधरी भजन लालः बिल्डिंग तो बनानी ही पड़ेगी। जैसे स्कूलों के लिये गांव वालों को बिल्डिंग बना कर देनी पड़ती है, इसी तरह से डिसपैंसरी के लिये भी गांव वालों को बिल्डिंग बना कर देनी पड़ेगी।

चौधरी भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीच्युएंसी एलनाबाद है जिसमें कम से कम 30 गांव ऐसे हैं जो डिसपैंसरी के

लिये बिल्डिंग और डाक्टर के लिये क्वार्टर बनाने के लिए तैयार हैं। क्या मंत्री महोदय इन गांवों में डिस्पैंसरी खोल देंगे ?

श्री लछमन सिंहः अगर इतनी चीजें बनाकर देंगे तो जरूर खोल दैंगे।

चौधरी उदय सिंह दलाल' स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिल्डिंग बना कर देने का जो पुराना स्टाईल है, क्या इसको चेंज करेंगे ताकि देहातों पर बिल्डिंग बनाने की पाबन्दी न हो ? गावों में बिल्डिंग बनाने की पाबंदी लगा रही है जबकि भाहरों पर इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हमारी जनता पार्टी की यह नीति है कि गांवों में तरक्की के रास्ते पैदा करें लेकिन यह पाबन्दी तरक्की के रास्ते में रूकावट है और इस को खत्म करें।

श्री लछमन सिंहः यह सुझाव बहुत अच्छा है और सरकार चाहती भी है लेकिन सवाल आता है फाइनैं ाल रिसोर्सिज का। (व्यवधान) आप सुनते ही नहीं, पहले सुन भी तो लो ? (व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि जो गांव बिल्डिंग बनाकर दैंगे वहां एलोपैथिक डिसपैंसरी खोल देंग। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि बिल्डिंग बनाने के बाद डिसपैंसरी खोलने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ? क्या बिना

देरी किए डिसपैंसरी खुल जाएगी अगर बिल्डिंग बनाकर दे दी जाए ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, डिस्पैंसरी खोलने के कुछ नार्म्ज होते हैं (व्यवधान–हंसी) सरकार मैक्सिमम कोि ा ा करती है कि डिसैंपरी खोलने की कि अगर कोई बिल्डिंग बना कर देता है तो वहां पर डिस्पैंसरी खोली जाए। (व्यवधान)

श्री दीप चन्द भाटियाः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सरदार लछमन सिंह से पूछना चाहता हूं कि जो बातें ये हाउस में कर रहे हैं, क्या ये सच्ची कर रहे है ? (व्यवधान– हंसी एवं भाोर)

(उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी खुर ीद अहमदः यह मिनिस्टर की भाान पर धब्बा है, इस सवाल का जवाब आना चाहिये। (व्यवधान)

चौधरी हर स्वरूप बूराः स्पीकर साहब, कुछ डिसपैंसरियां स्टेट में यूनानी हैं और कुछ आयुर्वेदिक हैं। क्या सरकार इन सबको ऐलोपैथिक डिस्पैंरीज कें कन्वर्ट करने के लिए विचार करेंगी ?

श्री लछमन सिंहः इसको एग्जामिन किया जा सकता है, इसके लिये आप सैप्रेट नोटिस दें।

चौधरी देसराजः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किसी इलाके में मुख्य मंत्री या किसी मिनिस्टर कंसंर्ड ने एलोपैथिक

डिस्पैंसरी खोलने का एलान किया हुआ हो, चाहे वहां पर बिल्डिंग बनी हो, चाहे न बनी हो, क्या इस एलान को पूरा किया जाएगा ?

श्री लछमन सिंहः चाहे मुख्यमंत्री जी ने चाहे मिनिस्टर कंसर्न्ड ने अगर कहीं पर डिस्पैंसरी खोलने का एलान किया हो तो वहां डिसपैंसरी खोलेंगे।

श्री देवेन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, पिछली सरकार के मिनिस्टरों की तरह यह सरकार एलान करती है, बड़े बड़े एलान करते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। (हंसी)

स्वामी अग्निवे Iः अध्यक्ष महोदय, यह प्र न बड़ा विचारोत्तेजक हो चुका है। इस पर पूछे गए अनुपूरक प्र नों का जवाब सरदार लछमन सिंह जी ने दिया है और चौधरी भजन लाल जी ने भी दिया है। हमारे साथी चौधरी उदय सिंह दलाल ने एक प्र न उठाया था जो बड़ा अहम था। उनहोंने कहा था कि बिल्डिंग बनाने की पाबंदी भाहरों पर नहीं है, गांवों पर है। भाहरों को नहीं कहा जाता कि स्कूल की बिल्डिंग बना कर दें, सड़कों पर मिट्टी डाल कर दें, तक सरकार आगे कदम उठाएगी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि गांवों पर से इस पाबंदी को क्यों नहीं हटाया जाता। मैं समझता हूं कि इस प्र न का उत्तर मुख्य मंत्री महोदय ज्यादा अच्छी तरह से दे सकते हैं। यह परम्परा बड़ी देस से चली आ रही है जो गांव विरोधी है, गांव वालों को हर सुविधा से वंचित किया जाता है, चाहे गांव वाले बिल्डिंग बना कर दें दें,

चाहे स्केल के लिये, डिस्पैंसरी की बिल्डिंग बना कर दें, कुछ भी कर दें लेकिन गांव वालों को सुविधाओं से वंचित किया जाता है। जाहं पर डिस्पैंसरी की जरूरत है स्कूल की जरूरत है, वहां सरकार को बिना किसी कंडी ान के काम करना चाहिये। क्या मुख्य मंत्री जी इस प्रकार की कोई नीति बनाना चाहते हैं ताकि गांवों को अधिक सुविध मिलें ?

मुख्य मंत्री (चौधरी देवी लाल): स्वामी जी, मुख्य मंत्री की नीति यही है कि गांव वालों को अधिक सुविधाएं दी जाएं, लेकिन स्वामी जी गांव विरोधी नीतियों पर चलने वालों के साथ मिले हुए हैं, इसलिये मेरे रास्ते में रूकावट है। (व्यवधान)(हंसी)

राव बीरेन्द्र सिंह: किसान सम्मेलन में नहीं गए हैं क्या वह ? (हंसी)

Commanded Area of Dabra Minor

***747. Shri Kanwal Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the total commanded area of Dabra Minor as on 31-3-78;

(b) the total are under (i) cultivation (ii) under construction, (iii) used for other msicellaneous purposes out of that referred to in part (a) abvoe separately;

(c) whether the area under vultivation as referred to in part (a) abvoe can be irrigated by direct outlet from the Balsmand Disty; and

(d) whether there is also a proposal under consideration of the Govt. for lining the Dabra Minor ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a)	Total C.C.A on Dabra Minor is	1960 Acres
(b)	(i) Area under cultivation is	1180 Acres
	(ii) Area under construction where buildings have already come up is	685 Acres
	(iii) Area for other miscellaneous purposee such as plots, grounds and unused places is	95 Acres

(c)	Yes, However length of water courses if taken off direct from Balsaman Distributary shall be about 4 miles.	
(d)	Yes.	

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से दो बातें जानना चाहूंगा। पहली बात यह है कि क्या यह सत्य नहीं है कि इस माईनर के नीचे 1180 एकड़ की जो क्लटीवे ान है यह आम आउटलैट के नीचे होती है। दूसरी बात यह है कि क्या यह सत्य है कि यह माईनर भाहर के के अफसरों की कोठियों को भी पानी देने के लिये बनाई जा रही है न कि प्योरली ऐग्रीकल्चरल लैंड को पानी दैने के लिए बनाई जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जहां तक सवाल के पहले भाग का ताल्लुक है, ऐसे आउटलैट भी हैं जिनके नीचे 1200 और 1400 एकड़ भूमि है। जहां तक सवाल के दूसरे भाग का ताल्लुक है मेरी नालेज में यह बात नहीं है कि सरकारी अफसरों की कोठियों को पानी देने के लिये इसकी लाईनिंग की जा रही है। लाईनिंग का यह परपज नहीं हो सकता। हां, यह हो सकता है कि जो एरिया अन्डर कंस्ट्रक ान आया हुआ है, वहां अगर कोई रजबाहा पड़ता है भाहर के नजदीक वहां से भाहर को पानी दिया जाता हो।

श्री कंवल सिंह क्या मंत्री महोदय की नालेज में यह है कि जो एरिया माईनर के नीचे है वह अगले दस पन्द्रह साल के अन्दर अन्दर भाहरी कंस्ट्रक ान के नीचे आ जाएगा और अगर ऐसा है तो इस नहर की लाईनिंग करने का क्या औचित्य है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अगर 15–20 साल में वहां भाहर बढ़ जाएगा तो ओटोमैटिकली माईनर खत्म हो जाएगी लेकिन मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है कि वहां लैंड एक्वायर की जा रही हो या भाहरी की बढ़ौतरी के लिये प्लांटस लिये जा रहे हों।

Amount of Electricity dues outstanding against

Poly Steel Hissar, etc.

***750. Shri Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total amount of electricity charges outstanding against the Haryana Poly Steeel Hissar and Haryana Electro Steel, Larsoli todate, separely ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): The amount of electricity charged outstanding against Haryana Poly Steel, Hissar and Harayana Electro Steel, Larsoli as on 30-11-1978 were as under :-

		Rs.
1	M/s Haryana Poly Steel,	47,27,603

	Hissar	
2	M/s Haryana Electro Steel, Larsoli (Sonepat)	16,63,344

चौधरी खुर ीद अहमदः सर, मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि हरियाणा पौली स्टील के कोई सवा सैंतालीस लाख के करीब आउटसैंडिंग बिल्ज हैं, और हरियाणा इलैक्ट्रो स्टील के पौने सतरह लाख के करीब आउटस्टैंडिंग बिल्ज है। मै। इनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या कभी बोर्ड ने इनमें से किसी फैक्टरी का कुनैक ान डिसकुनैक्ट किया ? इस के दूसरी तरफ किसान यदि 17 रुपये का बिल भी अदा न करे तो उसके ट्यूबैवैल का कुनैक ान डिसकुनैक्ट हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्या ये सरकारी फैक्टरीज हैं या प्राईवेट फैक्टरीज हैं ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जहां तक हरियाणा इलैक्ट्रो स्टील का ताल्लुक है इसका कम से कम पांच दफा कुनैक ान काटा जा चुका है क्योंकि यह प्राईवेट फर्म है। जहां तक हरियाणा पौली स्टील का ताल्लुक है इसका कुनैक ान नहीं कटा है क्योंकि यह पब्लिक सैक्टर की फर्म है। जहां तक इनता अमांउट डयू होने की बात है, यह हमें लीगेसी में मिली है। पिछली सरकार के जामने में ये केवल दो ही नहीं बल्कि बहुत सारी फर्मज थीं जिनके खिलाफ कई कई लाख के इलैक्ट्रिसिटी चार्जिज बकाया थे। उदाहरण के तौर पर ग्लोब स्टील एक फर्म थी जिसका 26 लाख रुपया डूब

चुका है। (विघ्न) उसका दिवालिया भी इन्होंने निकाल दिया है। लेकिन जहां तक हरियाणा इलैक्ट्रो स्टील का सम्बन्ध है, इससे डिसकुनैक ान के बाद पैसा आने लगा है। तीन लाख रुपया परसों ही जमा किया गया है। इनकी कुछ कि तें बांध दी गई हैं, इसी उम्मीद में कि समेत ब्याज और समेत सरचार्ज कै पैसा वसूल हो। अगर ये फर्म जिन्दा रहे तो पैसा मिल जाएगा और अगर जिन्दा न रहे तो सारा पैसा डूब जाएगा। हरियाणा पौली स्टील का जहां तक ताल्लुक है; इसके बारे में पिछले महीने मैंने मीटिंग की थी। डायरैक्टर आफ इंडस्ट्रीज उसमें भाामिल थे। उन्होंने वि वास दिलाया था कि एक महीने के अन्दर अन्दर वे लोन लेकर इस पैसे के अदा करेंगें क्योंकि उन्हें लोन लेने में फायदा है। वरना सरचार्ज इतना लगता है कि कर्जा उतरेगा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि वे इस पैसे को भीघ्र ही अदा कर देंगे।

चौधरी संत कंवरः मंत्री जी अभी बताया कि इलैक्ट्रो स्टील का पांच बार कुनैक ान कांटा गया और फिर कुनैक ान इसलिये दिया गया ताकि वह फैक्टरी बोर्ड का रुपया दे सके। इन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा न करे तो बोर्ड का पैसा फंस जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस फैक्टरी को इस रुपये के मुआवजे में लेकर खुद चलाएगी और इस पैसे को वसूल करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः बिजली बोर्ड तो इस प्रकार से इसको ले नहीं सकता क्योंकि जो हमारा चार्ज है वह तीसरा है। पहला

इन्कम टैक्स का चार्ज है, फिर बैंक वगैरा का चार्ज होता है जिनसे उन्हौंने लोन लिया होता है। हमारे तो मु कल से दो परसैंट भी पल्ले नहीं पड़ेगा।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, एक गरीब किसान का जिस समय टयूबवैल का कुनैक्शन काटा जाता है, वह जब तक पुराने बकाया की पैनल्टी के समेत जमा न करा दे तब तक उसे कुनैक ान नहीं दिया जाता। क्या वजह है कि इस फैक्टरी को पांच बार कुनैक ान बिना बिल की पेमैनट के और बिना पैनल्टी लिये दिया गया ?

श्री अध्यक्षः उन्होंने अभी बताया है कि उसको जिन्दा रखने के लिये यह कुनैक ान दिया गया ताकि गवर्नमैंट का पैसा वसूल हो जाए।

चौधरी हुकम सिंहः क्या मंत्री जी बताएंगे कि जो टाईम पर बिल अदा न कर सकें उन पर पैनल्टी या सूद लगाया जाता है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः बड़ा भारी सरचार्ज लगता है और उसी की वजह से यह अमांउट पाईल अप हो जाता है।

श्री मूल चन्द मंगलाः स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी बताया कि हरियाणा पौली स्टील फैक्टरी की तरफ बिजली का लगभग 48 लाख रुपया बकाया है। पिछले तकरीबन पांच साल से यह कारखाना चल रहा हे। इसने अब तक करीब पांच करोड़

रुपये का काम किया लेकिन उसमें भी दो करोड़ रुपये का घाटा है। यह सरकार कम्पनी हे। इसमें इतना घाटा है और 48 लाख रुपया बिजली का भी बकाया है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसका क्या कारण है और उस कारण को दूर करने की कोई कोि ा ा की जा रही है ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस घाटे के बारे में डाक्टर मंगल सैन रो ान डाल सकते हैं। मैं तो बिजली के बिल के बारे में कह सकता हूं।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या बिजली भाुल्क हरियाणा सरकार घटाने जा रही है, अगर घटाने जा रही है तो बिजली बोर्ड को कितना नुक्सान होगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह सप्लीमैंटरी इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है। स्टील प्लांट वालों का एक रिप्रेजेन्टे ान आया है, उस पर क ुमैन्ट मांगे जा रहे हैं उसके बाद उस पर गौर किया जायेगा।

लाला बलवन्त राय तायलः क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि पौली स्टील को सरचार्ज में एग्जैम्प ान दी गई है या सरचार्ज पूरा वसूल किया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः सरचार्ज में कोई एग्जैम्प ान नहीं दी गई है।

श्री मूल चन्द जैनः अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया है कि हरियाणा पौली स्टील हिसार की तरफ 4727603 रुपया बकाया है और मैसर्ज हरियाणा इलैक्ट्रो स्टील लरसोली की तरफ 1663344 रुपये बकाया बताया है। क्या इसमें बिजली बोर्ड की लापरवाही नहीं है ? 18 महीने हमारी सरकार को आये हुये हो गये, इतने समय तक हमारी सरकार को क्यों नजर नहीं आया, इसका क्या कारण है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी हर स्वरूप बूराः अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया था कि इन फर्मों को जिन्दा रखने के लिए इनसैन्टिव दिया है। यदि इसी तरह से सरकार की तरफ से मदद होती रही तो यह इनसैन्टिव खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि इस इनसैंटिव को खत्म करेंगे या नहीं ह?

श्री वीरेन्द्र सिंहः जब इनसे रिकवरी हो जायेगी तब इनसैंटिव बंद कर दैंगे ?

Nazool Land in the State

***774. Shri Jogi Ram:** Will the Minister for Revenue be please to state-

(a) the total area of Nazool land in Haryana at the time of the formationi of Janata Government;

(b) the total area of the land out of that referred to in part (a) above distributed amongst the Harijans so far;

(c) the total number of persons to whom the possession has been given; and

(d) the steps taken or proposed to be taken by the Government distribution of reamaining land ?

श्री अध्यक्षः इस सवाल के जवाब के लिए मिनिस्टर साहब ने एक्सटैं ान मांग ली है।

राव बीरेन्द्र सिंहः इसमें एक्सटैं ान की तो कोई बात नहीं थी। इस सवाल में तो सरकार की पालिसी पूछी है, एक्सटैं ान की क्या जरूरत थी ? केवल लेडी टीचर्ज की अप्वायंटमैंट के बारे में पूछा गया है।

श्री अध्यक्षः राव साहब आप भाायद किसी और सवाल को देख रहे हैं। सवाल नम्बर 774 के जवब के लिए टाईम की एक्सटैं ान दे दी गई है। जो कम्युनिके ान आई है वह इस प्रकार है :—

अ0स0प0 क्र0 8363र—1—78 / 36665

बीर सिंह

मन्त्री,

राजस्व विभाग, हरियाणा,

चण्डीगढ़ ।

दिनांक 22 दिसम्बर, 1978

विशय :— तारांकित विधान सभा प्र न संख्या 774 जो कि श्री जोगी राम, एम0एल0ए0 द्वारा पूछा गया।

प्रिय कर्नल राम सिंह जी,

कृपा उपरोक्त विशय की ओर ध्यान देवैं ।

2. उपरोक्त विधान सभा प्र न इस विभाग में 1 दिसम्बर 1978 को प्राप्त हुआ था। इस प्र न से सम्बंधित सूचना सचिवालय स्तर पर उपलब्ध न होने के कारण सभी उपायुक्त को तुरन्त सूचना भेजने के लिये 6—12—78 द्वारा लिखा गया था। तत्प चात दिनांक 15—12—78 द्वारा चूककर्ताओं को बचत तार द्वारा तथा दिनांक 20—12—78 को पुनः तार द्वारा तथा दिनांक

21—12—78 को पुलिस सन्दे ा द्वारा स्मरण कराया गया। परन्तु अभी तक अपेक्षित सूचना प्रतीक्षित है।

3. यह प्र न तारांकित विधान सभा कार्य सूची दिनांक 26—12—78 में भाामिल है।

अतः उपरोक्त स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्र न का उत्तर देने के लिये दो सप्ताई का समय और देने की कृपा करें।

सादर,

आपका,

हस्ता/—

(बीर सिंह)

श्री राम सिंह,

अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।

Policy regarding transfers of Lady/Handicapped S.V. Teachers

in the State

***756. Shri Mange Ram Gupta:** Will the Minister for Education be please to state –

(a) whether it is the policy of the Government that single lady teachers should not be appointed in the schools; if so, whether some lady teachers in Jind district have been posted in such schools where there are no other female teachers;

(b) whether it is also the policy of the Government that the handicapped teachers should be appointed in a school located near to their home towns, if so, whether some handicapped teachers of district Jind have been transferred to the far off places from their homes; and

(c) whether it is also the policy of the Government that S.V. teachers should not be appointed in High Schools or Middle Schools, if so, whether some S.V. teachers have been posted in Primary Schools in district Jind ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती डा0 कमला वर्मा):

(क) जी हां। जहां तक सम्भव होता है अध्यापिकायें उस विद्यालय में नियुक्त नहीं की जातीं जहां और कोई अन्य अध्यापिका न हो। फिर भी केवल आठ अध्यापिकायें ऐसे विद्यालयों में कार्य कर रही है जहां पर कोई अन्य अध्यापिका नहीं है।

(ख) जी हां। सरकार की नीति है कि विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति/स्थानान्तरण के मामलों में प्राथमिकता दी जाये। फिर भी केवल एक अध्यापिका जो विकलांग होने का दाबव

करती है, उसी गांव के दूसरे विकलांग व्यक्ति को समायोजित करने हेतु उठाया गया था क्यौंकि उसने अपने विकलांग होने बारे अपने बायोडाटा में कोई उल्लेख नहीं किया था।

(ग) साधारणतया एस0वी0 अध्यापक की नियुक्ति उच्च/माध्यमिक विद्यालयों में की जाती है। फिर भी केवल एक माध्यमिक एस0वी0 अध्यापक जिला जींद में एक प्राथमिका पाठ ाला में लगाया हुआ है। यह पाठ ाला उसके गृह गांव के निकट है।

Mr. Speaker: The Education Minister has also come.

श्री मांगे राम गुप्ता: मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि लेडी टीचर अकेली किसी स्कूल में नहीं लग सकती है, यह सरकार की पालिसी है। जिला जीन्द में 8 ऐसी लेडी टीचर्ज हैं जो अकेली लगी हुई हैं तो क्या उन लेडी टीचर्ज के साथ ज्यादती नहीं हो रही है उनको क्यों नहीं एडजस्ट किया जा रहा है ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं समय पर हाउस में हाजिर नहीं हो सका। उसका कारण यह है कि बाहर दो हजार टीजर्ज डिमान्सट्रे ान कर रहे हैं, उनकी रिप्रेजन्टे ान सुनने के लिए गया था।

श्री अध्यक्षः कोई बात नहीं। आपके साथ मिनिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से जवाब पढ़ दिया था। अब आप सप्लीमैंटरी का जवाब दें।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं आठों अध्यापिकाओं के बारे में अलग अलग बता देता हूं। श्रीमती इंदिरा रानी, श्रीमती इन्द कौर और श्रीमती दयावन्ती, इन तीनों अध्यापिकाओं ने जहां जहां के लिए अपना बायोडाटा दिया था, उनको उनके इच्छुक स्थानों पर लगाया गया है। बाकी अध्यापिकाओं ने जो स्थान मांगे थे वहां पर रिक्त स्थान नहीं थे इसलिए वे स्थान नहीं दिये जा सके।

जहां तक विकलांग अध्यापक का संबंध है, वह स्थान भी विकलांग अध्यापक का ही दिया गया है। जिस व्यक्ति की यह बात कह रहे हैं उसने अपने बायोडाटा में सर्टिफिकेट नहीं दिया था इसलिए नहीं लगाया जा सका। उसकी बाद में रिप्रेजैटें ान आयी है उसको कन्सिडर कर रहे हैं। एक टीचर को इसलिए भी एडजस्ट नहीं कर पाये क्योंकि उसकी पंचायत की तरफ से ि ाकायत आई थी।

जहां तक एस0बी0 टीचर्ज का संबंध है। ये आमतौर पर मिडल और हाई स्कूलों में लगाये जाते हैं परन्तु एक अध्यापक को माध्यमिक स्कूल में इसलिए लगाया गया था क्योंकि उसका घर उस स्कूल के नजदीक था।

श्री मांगे राम गुप्ताः मंत्री महोदय ने बताया कि उन्हें च्वाइस के स्टे ान दिये गये हैं। उन लेडी टीचर्ज की यह च्वाइस नहीं थी कि उनको अकेली को एक स्टे ान पर भेज दिया जाये। पालिसी को ब्रेक किया गया है।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि जो च्वाइस के स्टे ान उन्होंने मांगे थे, वही स्टे ान उनको दिये गये हैं। अगर वे दोबारा अप्लाई करेंगी तो उनको दूसरे स्टे ान दे दिये जायेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर साहब मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हैंडीकैप्ड टीचर के लिए विचार किया जा रहा है। आज 7–8 महीने हो गये हैं, ऐप्लीके ान आयी हुई है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्या दिक्कत आ रही है कि उसकी बदली नहीं हो पा रही है। ट्रांसफर करने में इतना समय क्यों लग रहा है ?

श्री अध्यक्षः आप मिनिस्टर साहब से मिल लें। मुझे उम्मीद है कि वे उनको जरूर ट्रांसफर कर देंगें।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब मैं हाउस में मैम्बर साहब को आ वासन देना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा मामला नोटिस में लायेंगे तो जरूर ध्यान रखेंगे और उनको ट्रांसफर कर दिया जायेगा। जहां तक च्वाइस के स्टे ान की बात है उसमें उनको प्राथमिकता दी जाती है लेकिन यह लाजमी नहीं है कि वही

स्टे ान दिया जायेगा। उनके लिए प्रयत्न किया जायेगा कि च्वाइस का स्टे ान दिया जाये। छः में तीन को चवाइस का स्टे ान दिया गया है। एक के लिए कहा गया है कि उसके खिलाफ पंचायत की ि ाकायत थी। पंचायत की ि ाकायत की वजह से बदला गया है।

Sub Station at Dagroli

***770. Shri Ran Singh Mann:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a new Power sub station at village Dagroli (Jhojju Kalan) in district Bhiwani, if so, the time by which it is likely to be set up ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): There is no proposal to setp up a 33 KV sub station at Dagroli (Jhojju Kalan) in Distt. Bhiwani in the near future.

श्री रण सिंह मानः स्पीकर साहब, इस सारे क्षेत्र में वौल्टेज बड़ी लो रहती है जिसकी वजह से वहां पर काफी नुक्सान होता है। क्या सरकार, वहां पर नहीं तो कहीं नजदीक कोई पावर स्टे ान बनाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः इस गांव से कोई 5–6 किलोमीटर के फासले पर एक दूसरा गांव है गुहसैल, वहां पर 33 के0वी0 सब स्टे ान बनाया जायेगा।

श्री रण सिंह मानः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो विद्युत सब स्टे ान बनाया जायेगा वह कितने के0वी0 का होगा ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः 33 के0वी0 का।

चौधरी पीर चन्दः स्पीकर साहब, मेरे हलके के अन्दर एक गांव है जाखल, वहां पर 25 के0वी0 का एक बिजली का सब स्टे ान बनाने की एक स्कीम है, वह कब तक बन जायेगा, क्या यह मिनिस्टर साहब बतायेंगें ?

श्री वीरेन्द्र सिंहः चौधरी पीर चन्द जी, अभी तो मुझे याद नहीं है। बाकी 25 के0वी0 का तो कोई पावर स्टे ान होता ही नहीं है।

श्री जय नारायण वर्माः स्पीकर साहब, सवाल की बात तो बाद में हो जायेगी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो हम बैकवर्ड क्लास से ताल्लुक रखते हैं, दूसरे हमें बैकवर्ड सीट अलाट की गयी है और फिर हमें सपलीमैंट्री पूछने में बैकवर्ड क्यों रखा जाता है ? (हंसी एवं भाोर)

Revision in existing auctioning procedure for Country-wine Vends

***803. Chaudhri Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the existing lottery system for auctioning the courntry wine vends in the State; and

(b) whether the Government has suffered loss or gained profit by introducing lottery sysstem for auctioning country wine vends during the year 1978-79, upto 31st October, 1978.

Excise and Taxation (Chaudhari Sher Singh) :

(a) No.

(b) There is no loss due to the introduction of lottery system but there is loss due to the introduction of the programme of prohibition for the year 1978-79.

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि पिछले एक क्वार्टर में यानी अप्रैल से लेकर जून तक कोर सपोडिंग ईयर में 52 लाख बोतलें उठायी गयी थीं लेकिन पिछले क्वार्टर में सिर्फ 32 लाखा बोतलें उठायी गयी हैं, क्या यह कमी लाटरी सिस्टम के डिफैक्टिव होने की वजह से है या प्रोहीबि ान का असर है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, इनकी सूचना ही गलत है। पिछले साल में जो कोटा निर्धारित था वह था 58 लाख प्रूफ लिटर 31—10—1977 तक इसमे से 3232687 प्रुफ लिटर भाराब

बिकी थी जबकि 31—10—1978 तक 2247411 प्रुफ लिटर भाराब बिकी है।

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरे सवाल को तो मंत्री महोदय अच्छी तरह से सुन लें बाद में बतायें कि कौन गलत है और कौन सही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1977 में अप्रैल से जून तक 52 लाख बोतल लीटर फैक्ट्रीज में उठायी गयी और इस बार डिस्टीलरीज से सिर्फ 52 लाख बोतलें उठायी गयी हैं, यह कमी लाटरी सिस्टम को इन्ट्राडयूस करने की वजह से है या प्रोहीबी ान की वजह से है ?

चौधरी भोर सिंहः यह बिल्कुल प्रोहीबी ान की वजह से है।

Mr. Speaker: Question hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Haryana Roadways Sub-Depot Jhajjar

***793. Capt. Mange Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether the Government aware of the fact that the Haryana Roadwayas buses of Jhajjar sub-depot are in a very bad condition and there are frequent break-down thereof and are alos not in sufficient number to cope with the need of travelling public; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative the steps taken or proposed to be taken to provide sufficient number of new buses in the above sub-depot to remove the inconvenience of the poeople of the Area ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal):

(a) It is corrct that the condition of buses in Jhajjar sub depot had deteriorated dut to bad road conditions on account of heavy follds in that area last year. The late arrival of new buses in lieu of replacements also contributed to this. As a result break-dowsn an route had increased. However, the position has now improved and the break downs are not more abnormal. This sub depot has a fleet of 33 buses which is adequate to meet the traffic needs of the area.

(b) The fleet condition has improved a lot with the replamcement of old buses with new ones.

Report of District Re-organisationi Committee

***811. Chaudhri Har Swarup Bura:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether the District Re-organisation Committee, which was required to submit its report by 2nd May, 1978 as stated by Government in reply to Starred Question No. 407 has submitted its report to the Government;

(b) if so;a copy of that Report be laid on the table of the house;

(c) if not; whether the time limit has been extended for submitting the aforesaid Report; and

(d) the expenditure incurred so far on the Committee as referred to in part (a) above ?

Revenue Minister (Thakur Bir Singh):

(a) No.

(b) Does not arise.

(c) Yes, the time limit was extended upto 31-12-1978.

(d) Rs. 4852.77.

Widening of Roads

***779. Chaudhri Jagdish Kumar Baniwal:** Will the Minister for Public Works be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct metalled roads in Darba Kalan Constituency of District Sirsa during the currect financial year; and

(b) whether there is also any proposal under considertaion of the Government to widen the Inter-State Sirsa-Nohar and Bhattu Kalan-Ladesar road; if so, the time by which it is likely to be widened ?

Public Works Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) Yes Sir.

(b) There is a proposal under consideration to woden Bhattu Kalan-Ladesar road during the sixth Five Year Plan but the time limit for tis completion cannot be given as it depends upon the availability of funds. There is however, no proposal to widen Sirsa-Nohar road for the present.

Sinking of Deep Tubewells in Rajaund Constituency

***786. Shri Gulzar Singh:** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to sink deep tubewells in the Rajaund Constituency of District Jind during the currect financial year; and

(b) is so, the time by which the aforesaid tubewells are likely to sink ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) No.

(b) Does not arise.

Setting up Co-operative Stores in Villages

***835. Shri Moll Chan Jain:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-

(a) whether the Government has taken any decision to open Cooperative stores in the Village having 5000 or more population, if so, the number of such stores opened so far; and

(b) whether it has come to the notice of the Government that controlled cloth and other articles to be sold at cheap rates are generally not sold to the villagers by the existing depot holders, including the Mini bank Managers and instead are being sold in the black market; if so, whether the Government is considering to organise separate cooperative depots to be manned by youngmen to be selected by it ?

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) सरकार ने अभी हाल में ही निर्णय लिया है कि ऐसे सभी गांवों में जिनकी आबादी 5000 या इससे अधिक है,

सहकारी आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की सुविधा उपलब्ध की जाये। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये आव यक कार्यवाही भीघ्र की जा रही है।

(बी) कभी कभी कन्ट्रोल वस्तुओं के वितरण के बारे में कुछ इक्का दुक्का ि ाकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिन पर भीघ्र ही उचित कार्यवाही की जाती है। जैसा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 5000 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों में सहकारी आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की सुविधा उपलब्ध की जायेगी। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप गांवों में युवकों को रोजगार देनें के काफी साधन उपलब्ध किय जायेंगे।

Sanskrit Teachers

***846. Rao Ram Narain:** Will the Minister for Education be please to state-

(a) the total number of Sanskrit Teachers who were posted in the Govt. High School (for Boys) Kosli, Tehsill Jhajjar, Distt. Rohtak since 1963;

(b) the class wise total number of boys who studied Sanskrit in the said school since 1963; and

(c) whether it is a fact that Sanskrit Teacher was transferred with the port of Dadodha School in August 1978, is so, the reasons thereof ?

Education Minister (Shri Hira Nand Arya):

(a) Two.

(b) Statement is laid on the Table of the House.

(c) No.

Statement showing the Class-wise total number of Boys who studied Sanskrit in G.H.S. Kosli (Rohtak) since 1963

Year	X	IX	VIII	VII	VI	Total
1963	46	80	82	80	78	366
1964	80	96	78	70	69	393
1965	39	50	65	72	60	286
1966	76	70	80	90	106	422
1967	46	56	62	75	98	337
1968	50	72	80	85	105	392
1969	35	60	82	78	91	346
1970	44	26	260	237		567
1971	26	28	179	233		466
1972	13	32	225	176		466
1973	33	42	185	176		436
1974	41	62	151	185		449

1975	48	135	150	160		493
1976	66	90	155	198		509
1977	72	115	158	202		547
1978	108	100	193	204		605

Amount spent for Controlling Floods

***761. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleases to state-

(a) the amount spent for controlling the floods from 1-1-1978 to 31-8-78 in the State;

(b) the details of the amount spent as referred to in part (a) above be given, separately under the following heads;

(i) the amont spend on machienery together with the manner in which it was spent;

(ii) the amount paid to labourers;

(iii) the amount spent on other works; and

(c) the deails of construction of bridges etc. on the old drains

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh):

(a) Rs. 1241.00 Lacs.

(b) The details of the amount spent as referred to in part (a) are given below :-

(i) Purchase/Transfere of machinery Rs. 384.25 Lacs

(ii) The amount paid to labourers Rs. 198.01 Lacs

(iii) The amount spent on other works Rs. 658.74 Lacs

(c) A statement is placed on the table of the house.

STATEMENT

Sr. No.	**Name of work**
1	Bridge at R.D. 18550, 33280 and 48140 Jassia Drain
2	Bridge at R.D. 27488 and 504 pakasma Drain
3	Bridge at R.D. 74030, 56030 and 78250 West Jua Drain
4	Bridge at R.D. 9221 Kanehli Drain
5	Bridge at R.D. 43500 Mangeshpur Drain.
6	Bridge at R.D. 7862 Jhajjar Outfall Link Drain
7	Construction of bridge on Main Drain No. 2 R.D.

	110000.
8	2 Nos. bridge at R.D. 97865 and 77100 on Amin Drain.
9	1No. acquaduct at R.d. 76500 on Sink Bahadurpur Drain.
10	5 No. Bridges R.D. 29125 Chhapra Drain R.D. 11750 Ridhana Drain, 200 Rithal Drain, 32857 Bhambawa Drain and 70650 Bhambawa Drain.
11.	Bridge at Gaunchi Main Drain R.D. 4400
12	Bridge at R.D. 61500 of Gaunchi Main Drain.
13	Bridge at R.D. 28750 of Pingora Drain.
14	Bridge at R.D. 25700 of Pnigora Drain.
15	Bridge at R.D. 8500 of Senatpur Drain.
16	Bridge at R.D. 250 of Buriya Nallah.

The above works were under construction from 1-1-78 to 31-8-78 on old drains.

Bus Stands in the State

***719. Swami Aditya Vesh:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the constituency-wise bus stands constructed during the period from 4th Jul, 1977 to 30th June, 1978 in the State; and

(b) the number of new buses which have been put on the various routs during the aforesaid period ?

Chief Minister(Chaudhri Devi Lal):

(a) The information (relating to constituency wise) bus stands constructed during the period from 4-7-77 to 30-6-78 is as under :-

Name of Bus Stand		Name of Constituency	
1	Hansi	1	Hansi
2	Tohana	2	Tohana
3	Siwani (Temporary Structure)	3	Siwani

(b) 120

Guest Houses at Delhi

***748. Shri Kanwal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under considertation of the Government at Delhi, is so, the time by which these Guest Houses are likely to be closed ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): राज्य सरकार ने केवल परिवहन विभाग के गैस्ट हाउस को बन्द करने का निर्णय लिया है।

N.P.C. Training Courses

***751. Shri Balwant Rai Tayal:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the names of officers who were sent to attend the management in National Productivity Council Training Courses during the year 1977-78 and upto 21-9-78 togetherwith the qualifications of each such officers; and

(b) the name of the states where these coursed were conducted togetherwith the amount spent thereon ?

Inudustries Minister (Doctor Mangal Sein):

(a) & (b) Statement is placed on the table of the House.

STATEMENT

Sr. No.	Name	Qualification
i	Sh. V.K. Nasa, Technical Manager (EL) HSIDC	B.E. (Electrical) M.B.A.

ii	Sh. K.K. Sharma, I.A.S. Mg. Director, HSIDC	M.A. (Economics)
iii	Sh. Joy Konnayil, Establishment Officer, HSIDC	M.A. L.L.B.
iv	Sh. Pradeep Kumar, I.A.S., Mg. Director Haryana Tanneries Ltd.	B.E. TECH. (Electrical)
v	Sh. M.G. Devasahayam, I.A.S., Mg. Director HSIDC	M.A. (Economics
Sr. No.	Place	Amount
i	New Delhi	Rs. 600/-
ii	Rajasthan	Rs. 1250/-
iii	New Delhi	Rs. 600/-
iv	J&K	Rs. 6000/-
v	Goa	Rs. 2750/-

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Constitution of Mewat Development Authority

***197. Swami Aditya Vesh:** Will the Minister for Finance and Panchayat be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute Mewat Development Authority for multipurpose development in Mewat area; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialzed ?

सहकारिता एवं डेरी विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(ए) व (बी) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

Coaching Institute for I.A.S. and Allied Services Examination

198. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to start an Institute for coaching the Rural Haryana domicile candidated for I.A.S. and allied services examinations conducted by the Union Public Service Commission, in the State; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Institute is likely to be opened togetherwith the location thereof ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Lift Irrigation Project for Mewat Area & Pataudi

199. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there is any scheme under consideration of the Govt. to construct a lift irrigation project from Yamuna for providing irrigation facilities in the Mewat are and Pataudi; and

(b) if so. the time by which the aforesaid scheme is likely to be materialized ?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):–

(अ) नहीं।

(ब) उपरोक्त 'अ' अनुसार प्र न उत्पन्न नहीं होता।

Male Teachers in the Government Higher Secondary School

200. Swami Aditya Vesh: Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) the number of male teachers in the Government Girl High/Higher Secondary Schools in the State whose age is less than forty years; and

(b) whether there is any service rule which requires that the male teacher of less than 40 years of agae should not be appointed in the Girl High/Higher Secondary School ?

Interim Reply

विशयः पुरूश अध्यापकों को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति बारे।

अतारांकित विधान सभा प्र नों की 26–12–78 की सूचित में स्वामी आदित्य वे ा विधान सभा सदस्य के नाम दर्ज विधान सभा अतारांकित प्र न संख्या 200 का उत्तर अभी तैयार नहीं हुआ। ज्यं ही संबंधित सूचना इकट्ठी हो जायेगी अपेक्षित उत्तर भेज दिया जायेगा।

हस्ता

ि ाक्षा मंत्री, हरियाणा

सेवा में,

सचिव,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।

अ ाासकीय क्र0 11/36/78–ि ाः 111(2) दिनांक चण्डीगढ़ 26–12–1978

Reservation for Scheduled Castes and Backward Classes

226. Shri Lehri Singh Mehra: Will the Chief Minister be pleased to state – whether any reservation has been made for the persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes in services in the Corporations and Boards set up by the Haryana Government: if not, the reasons therefor ?

Chief Minister (Chaudhri Devi Lal): Yes, Sir.

Loan/Taccavi to Landless Tenants

227. Shri Lehri Singh Mehra: Will the Minister of Revenue be pleased to state – whether is a fact that the landless tenants who cultivate land of the farmers on Batai or lease basis are not given loans/Taccavi, according to the cultivated area as being given to the landowners; if so, the reasons therefor ?

राजस्व मंत्री (ठाकुर बीर सिंह): जी नहीं।

मुजारे तथा स्वयं का त करने वाले पट्टेदार को बीज, चारा, खाद, कृशि उपकरणों तथा बैलों की खरीद के लिये अल्प अवधि तकाबी कर्जे दिये जा सकते हैं यदि उनका भूस्वामी अथवा कोई अन्य मुजारा अदायगी करने के लिए पर्याप्त जमानत दे दें।

घोशणायें

(क) अध्यक्ष द्वारा–

Mr. Speaker: Now I would like to make a few announcements.

(1) सभापतियों के नामों की सूची

Mr. Speakder: Under rule 13(1)) and (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, the following panel of Chairmen nominated by me earlier during the last (August) Session,

1978, will continue to serve during the current Session, Nmely –

1. Ch. Rizaq Ram, M.L.A.

2. Sh. K.L. Poswal, M.L.A.

3. Ch. Khurshid Ahmed, M.L.A.

4. Smt Sushma Swaraj, M.L.A.

(2) याचिका समिति

Mr. Speakder: Under rule 268(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions :-

1. Kanwar Vijai Pal Singh (Deputy Speaker), Ex-Officio Chairaman.

2. Shrimati Sushma Swaraj, Member

3. Shri Fateh Chand Vij, Member

4. Chaudhri Birender Singh, Member

5. Comrade Shankar Lal, Member.

कामरेड भांकर लालः स्पीकर साहब, आज तक मुझे किसी भी दूसरी कमेटी में नौमीनेट नहीं किया गया है, मैं रिजाईन करता हूं ..... (ाोर व व्यवधान) .....

श्री अध्यक्षः आपने रिजाईन करना है तो लिखकर भेज देना।

कामरेड भांकर लालः मेरा रिजाईन समझो।

श्री वीरेन्द्र सिंहः इनको तो फुर्सत ही नहीं है .....

Mr. Speaker: Mr. Shankar Lal, please sit down.

(ख) सचिव द्वारा –

Mr. Speaker: The Secretary may now make his announcements.

सचिवः (1) मैं उन विधेयकों को द र्शाने वाला विवरण, जो हरियाणा विधान सभा ने अगस्त, 1978 में हुए अपनु गत स़त्र के दौरान पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल/*राश्ट्रपति महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं :–

विवरण

1	दि हरियाणा एप्रोप्रिए ान (नं0 4) बिल, 1978
2	दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1978
3	दि हरियाणा म्युनिस्पिल (अमैंडमैंट) बिल, 1978
4	दि हरियाणा लैंड होल्डिज टैक (अमैंडमैंट) बिल, 1978
5	दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली (अलाउन्सिज एंड पैं ान आफ मैंबर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1978
6	दि पंजाब कोट्र्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978
*7	दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली प्रोसीडिंग्ज (प्रोटैक ान आफ पब्लिके ान) बिल, 1978
*8	दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिक (टेकिंग आवर आफ मैनेजमैंट) बिल, 1978
*9	दि हरियाणा पब्लिक वक्फस (एक्सटैं ान आफ लिमिटे ान) बिल, 1978

(2) मैं संविधान (पैंतालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1978 के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में राज्य सभा से प्राप्त हुए निम्नलिखित दस्तावेजों की एक एक प्रति सादर सदन की मेज पर रखता हूं :–

1	सचिव, लोक सभा, नई दिल्ली से प्राप्त हुआ पत्र दिनांकित 15 दिसम्बर 1978।
2	लोकसभा में पुरःस्थापित रूप में संविधान (पैंतालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1978 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाशाओं में)
3	संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (पैंतालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1978 (अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाशाओं में)
4	संविधान (पैंतालीसवां सं ाोधन) विधेयक, 1978 पर लोक सभा डिबेट्स दिनांकित 15 मई, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22 तथा 23 अगस्त तथा 6 तथा 7 दिसम्बर 1978 (खण्ड 1 तथा 2)
5	उक्त विधेयक पर राज्य सभा डिबेट्स दिनांकित 28, 29, 30 तथा 31 अगस्त 1978

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

Mr. Speaker: I have received a notice of Call Attention Motion from Rao Ram Narain, M.L.A., concering the re-opening of the Ravi Beas Water issued at the insistence of the Punjab Government. The motion is admitted. The Hon. Member may please read out his motion.

Rao Ram Narain: (Salhawas): Sir, I draw the attention of the Government to an urgent matter of public importance namely, lakhs and crores of rupees have been spean by the Haryana Government in constructing the Jawahar Lal Nehru Canala and its distributories to utilise the share of water of Haryana in Ravi Beas waters. The share of Haryana in the above said waters was fixed as 3.5 m.a.f. The same decision has been re-opened at the insisitence of the Punjab Government. The above said share of Haryana Government was fixed by the Ex-Prime Minister after giving a due hearing to all concerned parties. In fact this should not have been re-opened. Now it is learnt that the Primi Minister also heard the concerned parties after the last Session of Haryana Vidhan Sabha helf in August, 1978. The House be informed of the progress made in the matter after the above said Session and the steps taken by the Haryana Government in getting the link canal constructed in the Punjab territory for carrying Ravi Beas waters to feed the Jawahar Lal Nehru canal already constructed in the Haryana territory.

The matter is of utmost public importance. Therefore, the Government should give its statement during the current Session positively.

Mr. Speaker: Would the I.P.M. like to make a statement now ?

Rao Birender Singh : On a point of order. According to the rules, an adjournmnket motion given notice of is to be taken up first. Since you have allowed a call attention motion ..... (Interruptions)

Local Government Minister (Ch. Ram Lal Wadhwa): This is not a point of order. (Interruptions)

राव बीरेन्द्र सिंहः वधवा साहब, मेरे से लड़ने से हाई कोर्ट की जजमैंट तो उल्ट होगी नहीं ? वह तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगी।

Mr. Speaker: What is your point of order ?

Rao Birender Singh : My point of order is as I submitted that the adjournment motion has been rejected ..... (Interruptions)

Mr. Speaker: The adjournment motion has been rejected adn disallowed by me and you have been informed about this ..... (Interruptions)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः जनसंघ वालों ने तो यहां पर गलत बोलना अपना पे ाा बना रखा है ..... (ाोर एवं व्यवधान) .....

Rao Birender Singh : You have given reasons for rejecting this adjounment motion but ..... (Noises and interruptiosn)

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू: स्पीकर साहब, जनसंघ वालों ने तो अपना पे ाा बना रखा है, गलत बोलने का।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: There can be no point of order on the ruling of the Speaker.

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): यहां तो सारे जनता पार्टी के कहैं कोई जनसंघ नहीं है। ..... (व्यवधान व भाोर)

Mr. Speaker: The adjournment motion has been disallowed.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: No point of order can be raised on the ruling of the Speaker .....

Rao Birender Singh : Let me put my point of order and then let him reject it ..... (Interruptions)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: When the motion has been rejected, there can be no discussion on it. And there can be no point of order on the ruling of the Speaker. (Interruptions)

Mr. Speaker: Your adjournment motion has been rejected by me. Specific reasons have been given for disallowing the adjournment motion. There can be no discussion on it.

Rao Birender Singh : You have to listen to a point or order, Mr. Speaker (Interruptions)

Mr. Speaker: Make your point of order if it is relevant.

Rao Birender Singh : It is for you to decided whether it is relevant or not. Unless you listen to me how can you say that. You have stated and given a ruling. That ruling is likely to make a history. Therefore, I am submitting that the reasons may be put before the House ..... (Interruptions)

Mr. Speaker: You please come and see me in my chamber. I will not allow any discussion on the ruling given by me.

Rao Birender Singh : You have taken a decision that ordinary adminstration of justice also covers firing by police ..... (Interruptions) Firing by police is not ordinary administration of justice (Interruptions)

Mr. Speaker: Please take your seat.

Srhi Verender Singh: I may be permitted to make the statement on the Call Attention Motion on the 28th.

श्री भाम ेर सिंह (नरवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे मे कहना चाहता हूं कि पिछले बजट सै ान में जब ब्रिगेडियर रणसिंह स्पीकर थे तो उनहोंने सारी पार्टियों के मैम्बरों को बुलाकर यह पालिसी तय की थी कि जो भी मो ान रिजेक्ट की जाएगी उसका जिस्ट और मूवर का नाम लिया जाएगा। ब्रिगेडियर रण सिह यहां पर मौजूद हैं आप उनसे वेरिफाई कर सकते हैं। (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: ऐसा नहीं हुआ था।

श्री भाम ोर सिंह: आप कैसे कहते हैं (व्यवधान)

चौधरी राम लाल वधवा: मैं पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर हूं इसलिये मैं जानता हूं।

Mr. Speaker: It is upto the discretion of the Speaker if, after disallowing the adjournment motion, he would like to read the notice of the motion and the reasons for disallowing the same in the House. It is not obligatory on the Speaker to read it every time and, in my discreation, I have disallowed the motion. If you have any doubt, you can come and see me in my chamber ..... (Interruptions)

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, इस तरह का फैसला उस बजट सै ान में हुआ था। ब्रिगेडियर रणसिंह जी यहां पर बैठे हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं, रिकार्ड से वैरिफाई कर सकते हैं। डिसक्रि ान का कोई सवाल ही नहीं है। उस वक्त यह फैसला किया गया था कि अगर मो ान रिजैक्ट की जाती है तो उसका जिस्ट हाउस के अन्दर जरूर पढ़ कर सुनाया जाएगा।

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh): I think, there is some point in that. You may refer to the record. (Interruptions)

Shri Baldev Tayal: I distinctly remembjer that there was some decision that whatever motiin is rejected, will be read out in the House. (Interruptions)

Rao Birender Singh: That was the assurance given by the previous Speaker and that forms a conventions to be followed.

Brig. Ran Singh: Only the subject and the name ?

Mr. Speaker: This is a rule which is quite clear. It is given in the book (Rules of Procedure). This will be adhered to strictly. The rule says-

"..... Provided that where the Speaker has rdfursed his consent under Rule 66 or is of the opinioun that the matter proposed to be discussed is not in order he may, if he thinks it necessary read the notice of the motion as not in order. The member shall have no right to speak on the circumstances of his motion unless permitted to do so by the Speaker".

यह रूल बिल्कुल स्पश्ट है। इसमें कोई ऐम्बीगुअटी नहीं है और इस पर कोई डिस्क ान अलाउ नहीं की जा सकती।

Rao Birender Singh: That is a rule, agreed. But there is a ruling by the previous Speaker and that also forms a convention to be followed in the House.

Mr. Speaker: I will examine that ruling.

Rao Birender Singh: I would like to know whether the rulings given buy the Speakder in interpretation of certain rules have no meaning ini this House or they have some meaning.

Mr. Speaker: I will examine that I will study the record and let you know.

राव बीरेन्द्र सिंहः आपने तो रीजन्ज दी हैं उसमें एक खतरनाक चीज है फायरिंग बाई पुलिस ....

श्री अध्यक्षः इस पर कोई डिस्क ान अलाउ नहीं की जाएगी। (Interruptions) .... No discussion will be allowed on the Speaker's ruling.

राव बीरेन्द्र सिंहः * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * *

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब ने अभी कहा है कि एग्जामिन करने के बाद बताऊंगा। (व्यवधान)

Rao Birender Singh: I can make a submission to the Speakder and point out certian things .... (Interruptions)

राव बीरेन्द्र सिंहः * * * * * *
* * * * * * * * * * *
*

विकास एवं पंचायत मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब की रूलिंग के बाद राव साहब बोल रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो कुछ यह बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं होना चाहिए।

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि हजारों की तादाद में हरियाणा गवर्नमैंट के क्लास थ्री और फोर एम्पलाईज और टीचर्ज धरने पर बैठ हुए हैं। उनकी मांग तनख्वाह और अलाउंसिज के बारे में है ..... (व्यवधान)

एक सदस्यः आप यह कौन से विशय पर बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंहः मैं यह जीरो ओवर में सबमिट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्षः आप कौन से विशय पर बोल रहे हैं ? I would like to know the subject on which you are speaking.

चौधरी राम लाल वधवाः हमारे एजुके ान मिनिस्टर उनसे मिलकर आए हैं। .....

श्री भाम ोर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्रीगण हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने कौन सा रोल ऐज्यूम कर लिया है। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन): स्पीकर साहब, मेरी ऐक सबमि ान है। इन्होंने कहा है कि हजारों की तादाद में एम्पलाईज बाहर बैठे हुए हैं। और हजारों की तादाद में टीचर्ज बाहर बैठ हैं। मेरा कहना यह है कि ये मगरमच्छ के आंसू न बहाएं हमारे एजुके ान मिनिस्टर साहब उनसे मिल आये हैं।

ि ाक्षा मंत्री (श्री हीरा नन्द आर्य): मैं अभी उनसे मिलकर आया हूं और उनसे रिप्रेजेन्टे ान लेकर आया हूं। सरकार उस रिप्रेजेन्टे ान पर विचार करेगी। (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि .....

श्री अध्यक्ष: आप किस विशय पर बोल रहे हैं ?

श्री भाम ोर सिंह: स्पीकर साहब, मैंने आज सुबह काल अटैन्ा ान मो ान दी थी .....

श्री अध्यक्ष: आपकी काल अटैन्ा ान मो ान अभी दो मिनट हुए मुझे सेक्रेटरी ने पुट अप की है। क्वै चन आवर के बाद पुट अप की है। I have not had the time to study. It was submitted late. I will examine it.

श्री भाम ोर सिंह: मैंने अपनी काल अटैन्ा ान मो ान 11.45 बजे दी थी। अगर आपके यहां कोआर्डीने ान न हो तो हम क्या कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: एक दिन में एक ही कालज अटैं ान मो ान एडमिट हो सकती है पिफली दफा हाउस की सैंस को देखने के बाद दो मो ान्ज एक दिन में एडमिट कर ली थी जिस पर राव साहब ने जबरदस्त एतराज उठाया था कि एक दिन में दो काल अटैं ान मो ान एडमिट नहीं हो सकती। इसलिये मैंने कहा

था कि दो काल अटैं ान मो ान एडमिट नहीं की जाएगी। एक दिन में एक ही एडमिट करूंगा। (व्यवधान)

श्री भाम ोर सिंहः आप मुझे यह तो बताएं कि मेरी मो ान का क्या फेट है ?

श्री अध्यक्षः मैं जरूर बताऊंगा। I have not had the time to study it. It was put up to me just now, after the question house. I will certainly examine it and let your know. राव राम नारायण का मो ान एडमिट हो गया है। एक दिन में एक ही एडमिट हो सकता है।

Mr. Speaker: Would the I.P.M. like to make a statement ?

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मेरी एक गुजारि ा है। (ाोर)

Mr. Speaker: I will examine the ruling my predecessor has given and let you know. Please sit down (Interruptions)

राव बीरेन्द्र सिंहः * * * * * *

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

श्री अध्यक्षः राव साहब, रूलिंग दे दी गई है। (ाोर) मैं फिर एग्जामिन करूंगा (ाोर)

(इस समय बहुत से मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज। राव साहब उसके बारे में, मैंने कह दिया है कि मैं एग्जामिन करूंगा, आपको अगर किसी बात की तसल्ली नहीं है तो आपक मेरे चैम्बर में आ जाईये। मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा।

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप अगर इस हाउस के अन्दर हमें सुनना नहीं चाहते तो अपने चेम्बर में क्या सुनेंगे। (ाोर) स्पीकर साहब, यह कोई डेमोक्रेसी है कि हमें यहां पर बोलने नहीं दिया जाता।

डा0 मंगल सैनः स्पीकर साहब, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कहां मिलेगी, इन्होंने लिखा कि हम हाउस में आना चाहते हैं, हमने इजाजत दे दी। हम लिखत रहें कि हम हाउस में आना चाहते हैं लेकिन हमें आने नहीं दिया गया।

राव बीरेन्द्र सिंहः बड़ी मेहरबानी आपकी। आपने हमें यहां आने की इजाजत दे दी। क्या इजाजत इसलिये दी थी कि हमें यहां पर बोलने नहीं दिया जाएगा। हम यहां पर स्पीकर साहब, बोलना चाहते हैं और हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। हम इसके प्रोटैस्ट में वाक आऊट करेंगे ..... (ाोर)

Mr. Speaker: Rao Sahib, When I am on my leges, you please sit down. (Interruptions)

श्री भाम ोर सिंहः स्पीकर साहब, यहां विधान सभा के सामने तीन चार हजार आदमी भूख हड़ता पर हैं, उन पर जेलों के अंदर और बाहर लाठी चार्ज किया गया है। (ाोर)

श्री अध्यक्षः चौधरी भाम ोर सिंह जी, आप बैठिये, ब्रिगेडियर रणसिंह जी जो कि मेरे प्रेडीसेसर थे, उन्होंने जो 3—4—78 को रूलिंग दी थी, वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं :—

"A reference was made by some to the members on the floor of the House on 3-4-78 with regard to the procedure to be adopted in respect of Call Attention Motions..... ?

मेरे प्रेडीसेसर ने एडजर्नमैंट मो ान पर कभी कोई रूलिंग नहीं दी। यह रूलिंग काल अटैं ान मो ान के बारे में दी गई थी। So this ruling is not applicable to the adjournment motion. ..... (Interrutptions) .....

बहिर्गमन

राव बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, जो आप बता रहे हैं यह तो और भी अच्छी रूलिंग है, कम से कम उसके मुताबिक ही अमल कीजिए। (ाोर) स्पीकर साहब, हमें यहां पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, आप हमारी कोई बातें सुनने को तैयार नहीं हैं, इसलिये हम इसके प्रोटेस्ट में वाक आऊट करते हैं। (इस समय

माननीय सदस्यगण राव बीरेन्द्र सिंह, राव दलीप सिंह, श्री इन्द्रजीत सिंह, श्री भाम ोर सिंह, चौधरी बीरेन्द्र सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री नारायण सिंह, श्री जगजीत सिं पोहलू तथा श्री मांगेराम गुप्ता, सदन से उठकर चले गये)

आवाजें: स्पीकर साहब, हमारी गुजारि ा है कि .....

डा0 मंगल सैन: स्पीकर साहब, ये आपकी इजाजत के बिना बोल रहे हैं और यूं ही हाउस का समय वेस्ट कर रहे हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि इन कुछ आदमियों ने ही यहां पर बोलने का ठेका ले रखा है, बाकियों को भी बोलने का समय मिलना चाहिए ये लोग यूं ही भाोर डालकर हाउस का समय बरबाद कर रहे हैं ..... (ाोर)

Mr. Speaker: I would request all the members to please sit down.. (Interruptions) ..... Nothing to be recorded which is spoken without my permission * *** ****

**** **** **** **** **** ****

**** **** **** **** **** **** ****

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): I would request you that I may be permitted to make the statement on 28th December, 1978.

Mr. Speaker: Alright.

मेज पर रखे गये कागज–पत्र

Mr. Speaker: Now the Ministers will lay or re-lay the papers on the Tabled of the House.

Agriculture Minister (Brig. Ran Singh): Sir, I bet to lay on the Table the Medical College (Taking over of Management) Ordinance, 1978 (Haryana Ordinance No. 3 of 1978).

Finance Minister (Shri Preet Singh): Sir, I beg to lay on the Table the Haryana Contigency Fund (Amendment) Ordinance, 1978 (Haryana Ordinacne No. 4 of 1978).

Sir, I beg to lay on the Table the Haryana Contigency Fund (Amendment) Ordinance, 1978 (Haryana Ordinacne No. 4 of 1978).

Public Works Minister (Shri Lachhman Singh): Sir, I beg to lay on the Table the Punjsb Ayurvedic and Unani Practioners (Haryana Amendment Validation Ordinance, 1978 (Haryana Ordinacne No. 5 of 1978).

Local Governnment Minister (Chaudhri Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to lay on the Table-

The Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Second Amendment Ordinance, 1978 (Haryana Ordinacne No. 6 of 1978)

The Annual Financial Statement (Budget Estimates) of the Haryana State Electricity Board for the year 1978-79 and Revised Budged Estimated for the year 1977-78, as

required under Section 61 of the Electricity (Supply) Act. 1948.

A copy each of the following Notifications regarding amendments in the Punjab Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Punjab Motor Vehicles Act, 1939 :-

(i) Notification No. GSR. 25/C.A./39/Ss. 24 and 41/Amd. (23)/78, dated the 28th March, 1978.

(ii) Notification No. GSR. 82/C.A./39/Ss. 24 and 41/Amd. (24)/78, dated the 28th July, 1978.

(iii) Notification No. GSR. 83/C.A./39/Ss. 24 and 41/Amd. (25)/78, dated the 28th July, 1978.

(iv) Notification No. GSR. 84/C.A./39/Ss. 24 and 41/Amd. (26)/78, dated the 28th July, 1978.

(v) Notification No. GSR. 85/C.A./39/Ss. 24 and 41/Amd. (27)/78, dated the 28th July, 1978.

(vi) Notification No. GSR. 86/C.A./39/Ss. 24 and 41/Amd. (28)/78, dated the 4th August, 1978.

(vii) Notification No. GSR. 87/C.A./39/Ss. 24 and 41/Amd. (29)/78, dated the 4th August, 1978.

(viii) Notification No. GSR. 97/C.A./39/Ss. 24 and 41/Amd. (30)/78, dated the 1st September, 1978.

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

मेज पर पुनः रखे गये कागज–पत्र

Local Government Minister(Chaudhri Ram Lal Wadhwa): Sir, I beg to re lay on the Table –

The General Adminstration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 60/Const./Art. 320/Amd. (1)/78, dated the 7th June, 1978 issued under Article 320(3) of the Constitutions of India, as required under Article 320(5) ibid.

16.00 बजे

The General Adminstration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 66/Const./Art. 320/Amd. (2)/78, dated the 16th June, 1978 issued under Article 320(3) of the Constitutions of India, as required under Article 320(5) ibid.

स्वामी अग्निवे ाः डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले सै ान में यह रूलिंग दी गई थी कि सदन के पटल पर जो कागजात रखे जाएंगे वे सब हिन्दी भाशा में होंगे लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पास जो कागजात हैं वे हिन्दी भाशा में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः ऐसी कोई रूलिंग नहीं है। (व्यवधान)

चौधरी ि ाव राम वर्माः डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी राम लाल जी जब इधर अपोजी ान बैंचिज पर बैठा करते थे तो यह कहा करते थे कि हिन्दी में क्यों नहीं बोलते, लेकिन अब

मिनिस्टर बनने पर अंग्रेजी में बोल रहे हैं। इसका क्या कारण है कि वे हिन्दी में नहीं बोलते। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: ये कागजात हमें हिन्दी भाशा में मिलने चाहिये, इसके बाद ही आगे कार्यवाही चल सकती है ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ऐसी कोई रूलिंग पहले कभी नहीं आई। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: ऐसा कोई रूलिंग आई है और हमने कई बार सदन में मांग भी कि है कि हिन्दी में कागजात दिए जाएं। ..... (व्यवधान) **चौधरी ि ाव राम वर्मा:** यह फैसला हो गया था कि हिन्दी में कागजात दिए जाएंगे। ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अगली बार कोि ा ा करेंगे ..... (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: आप उस रूलिंग को मंगवाई ..... (व्यवधान) .... आप इन कागजात को बाद में टेक अप करें ..... (व्यवधान)

कामरेड भांकर लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे प्रान्त की बड़ी बेइज्जती है जिसमें अंग्रेजी में कागजात सप्लाई किए जाते हैं, एक भी कागज हिन्दी का नहीं है जबकि सारा काम हिन्दी में होना चाहिए। ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठ जाइए ..... (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ाः पहले आप हिन्दी में कागज सप्लाई करें, उसके बाद ये कागज सदन की मेज पर रखे जाएंगे ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः पहले आप रूल पढ लीतजिए, उसके बाद बोलें ..... (व्यवधान) मैं आपके लिए रूल पढ़ देता हूं। It reads-

"77. Subject to the provision of Article 210 of the Constitution".

स्वामी अग्निवे ाः आप रूल हिन्दी में पढ़ दीजिए ..... (व्यवधान) आप पूछ लीजिए कि हाउस में वह वचन दिया था कि नहीं कि कागजात हिन्दी में दिए जाएंगे। ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप मेरी बात सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं ..... (व्यवधान) आप बैट कर सुन लीजिए। ..... (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराजः आप यह तो देखिए कि उनकी बात में कितना वजन है। जो कागजात आपने मेज पर रखे हैं वे इसलिए रखे हैं ताकि माननीय सदस्य पढ़ लें और उन पर चर्चा हो सके। जब इनको यह पता नहीं कि उनके सामने क्या चीज रखी जा रही है तो वे चर्चा कैसे करेंगे ..... (व्यवधान) इसलिए कागजात हिन्दी में होने चाहिए। आप रूल भी अंग्रेजल में पढ़ रहे

हैं और कागजात भी अंग्रेजी में रख रहे हैं। (व्यवधान) जब मैं मिनिस्टर थी तो बिल हिन्दी में रखती थी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिए। पहले स्पीकर साहब की रूलिंग आ चुकी है कि इंग्लिश में कार्यवाही चल सकती है। रूलिंग आने के बाद आप इतराज नहीं कर सकते। भारत के कांस्टीच्यू ान के आर्टिकल 210 के तहत अंग्रेजी, पंजाबी, किसी भी भाशा में सदन की कार्यवाही चल सकती है, इस पर आप बहस नहीं कर सकते। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ाः मेरा जो व्यवस्था का प्रस्ताव है उसको आप सुन लीजिए .....

श्री उपाध्यक्षः मैंने सुन लिया है, आप बैठ जाईए।

अनुपूरक अनुमान पे ा करना

Finance Minister (Shri Preet Singh): Sir, I beg to present the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1978-79.

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट पे ा करना

Chaudhri Sant Kanwar (Chairman, Committee on Estimates): Sir, I beg to present the Report of the Committee

on Estimates on the Suplementary Estimates (Second Instalment) for the year 1978-79.

संविधान (पैंतालीसवां सं ोधन) विधेयक, 1978 के अनुसमर्थन संबंधी सरकारी संकल्प (चर्चा 28.12.1978 तक स्थगित)

Mr. Deputy Speaker: Now the Minister will move the resolution regarding ratification of the Constitution (Forty-Fifth Amendment) Bill, 1978.

स्वामी अग्निवे ा: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मैंने आपको जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ा: उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से न किया जाए, पहले आप मेरी बात का फैसला करें ..... (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराजः डिप्टी स्पीकर साहब, हर बार सदन में यह सवाल उठाया जाता है कि सदन की कार्यवाही हिन्दी में हो लेकिन आप इस बात का फैसला नहीं करते कि हिन्दी में विधान सभा की कार्यवाही हो (व्यवधान) आप हाउस की सैंस ले लीजिए, हाउस फैसला करेंगा कि हिन्दी में चलनी चाहिए या अंग्रेजी में चलनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठ जाइए मैंने फैसला ले लिया है .. .. (व्यवधान)

स्वामी अग्निवे ाः क्या आपने इस बात का फैसला किया कि सारे कागजात हिन्दी में रखे जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप मेरे चैम्बर में आकर बात कर लीजिए। यह रूल हाउस ने ही बनाया है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। आपने जो बात करनी है, मेरे चैक्टर में आकर कर लिजिए।

स्वामी अग्निवे ाः आप पहले मुझे हिन्दी में कागजात दिलाएं, इसके बाद आगे कार्यवाही चलेगी ..... (व्यवधान)

संविधान (पैंतालिसवां सं ाोध्न) विधेयक, 1978

के अनसमर्थन संबंधी सरकारी संकल्प

(चर्चा स्थगित)

श्री उपाध्यक्षः आप चैम्बर में आकर मेरे साथ बात कर लीजिए।

स्वामी अग्निवे ाः आप इनसे पूछ लीजिए, क्या उन्होंने यह बात नहीं कही कि कागजात हिन्दी में रखे जाएंगे ?

श्री उपाध्यक्षः मैंने पता कर लिया है, आप बैठ जाईए।

श्रीमती सुशमा स्वराजः डिप्टी स्पीकर साहब, आप इस बात को देखें कि क्या सदन के हर सदस्य को अंग्रेजी आती है ? अगर नहीं आती तो आपका यह कर्त्तव्य है कि सदन की कार्यवाही हिन्दी में चलाएं। आप यह भी पता कर लें कि क्या सदन में कोई ऐसा सदस्य है जो हिन्दी नहीं जानता, सब हिन्दी जानते हैं और कागजात हिन्दी में आने चाहिएं। आखिकर सदस्य हाउस में किए लिए बैठे हैं, जो कागज उन के सामने आते हैं वे अंग्रेजी में होते हैं और वे उनको समझ नहीं सकते।

स्वामी अग्निवे ाः आप मेरी बात सुनी लीजिए .....

श्री उपाध्यक्षः स्वामी जी आप बैठिए। मैंने आपकी बात सुन ली है। (विघ्न) अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे कोई दूसरा स्टैप उठाना पड़ेगा। (विघ्न)

श्री बलदेव तायल (हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अंदर कई भाशाएं नोटिड हैं। एक भाशा संविधान के अंदर अंग्रेजी भी निहित है। मैं यह नहीं कहता कि हरियाण के अंदर .... (विघ्न एवं भाोर) मैं केवल इतनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सारे आदरणीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वामी जी की डिमांड ठीक है कि हरियाणा असैम्बली की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रस्ताव हिन्दी में पढ़ा जाए मगर अगर किसी कारणव ा कोई कागज हिन्दी में आने से रह जाए तो हमें किसी जुबान से इतनी दु मनी नहीं होनी चाहिए कि हम

सदन की कार्यवाही भी न चलने दें। मैं यह बात स्वामी जी के ध्यान में ला देना चाहता हूं कि संविधान के अंदर 14 भाशाएं रखी हुई हैं एक नहीं, और हर प्रदे ा की भाशा अलग अलग है। हमें हर भाशा का सम्मान करना चाहिए, हर भाशा को आदर की दृश्टि से देखना चाहिए और साथ ही साथ अपनी भाशा मैं भी विचार रखने चाहिएं। इन भाब्दों के साथ मैं आदरणीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह सदन की कार्यवाही को चलने दें। (विघ्न एवं भाोर)

स्थानीय प्र ाासन मंत्री (चौधरी रामलाल वधवा): डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ भी सदन के अंदर मैम्बर साहेगान कह रहे हैं, मैं इनकी भावनाओं की कदर करता हूं और मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां अंग्रेजी से कागज आते हैं वहां हिंदी में भी आ जाने चाहिएं लेकिन कई बार किसी कठिनाई के कारण यदि कोई कागज हिन्दी में न आ सके तो कोई ज्यादा आपति वाली बात नहीं होनी चाहिएं। इसके अलावा, डिप्टी स्पीकर साहब, जो कागज आज बांटे गए हैं। इन पर आज डिस्क ान नहीं होनी है। जब डिस्क ान होनी है तब तक हिन्दी में भी इनको कागज मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ मुझे एक और निवेदन सक मैम्बर साहेबान से करना है कि इस प्रकार का कोई रूलिंग सदन के अंदर नहीं आया है कि बिल्कुल हिन्दी के अंदर ही कागज सप्लाई किए जाएंगे। ऐसी बात सदा होती रहती है। हम भी इस बात से सहमत हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही हिन्दी के अन्दर होनी

चाहिएं आयंदा हम चेश्टा करेंगे कि अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी के कागज भी आ जाएं।

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है। आज चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने उस कांस्टिच्यु ान अमैन्डमैंट के बारे में, जिसे हमारी लोकसभा और राज्य सभा ने पास किया है, एक प्रस्ताव इस हाउस में प्रस्तुत किया है। इससे अगला रैजोल्यू ान भी इसी प्रकार का है। लेकिन मैं आपके द्वारा सदन से इसके बारे में एक अर्ज करना चाहता हूं कि इन रैजोल्यू ांज के बारे में जो हाउस में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बड़े बड़ै वौल्यम्ज 6–7 मैम्बर्ज को आज सुबह या कल भााम को दिए गए हैं। हमें तो कोई इत्तलाह पहुंची नहीं है कि किन किन विशयों पर कार्यवाही हो रही है। चार पांच रोज पहले सूचना मिली कि सै ान बुलाया जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मैम्बर्ज के कुछ राईटस हैं कुछ प्रिवलेजिज हैं। यह जो प्रस्ताव लाया जा रहा है इसके द्वारा हमारी पार्लियामैंट ने संविधान में जो तरमीम की है उसको रैटिफाई करना है। यह कोई आइडियल फामेलिटी नहीं है कि इन्होंने इसे पढ़ लिया और यहां सबके हाथ उठवा लिए। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जनता पार्टी का जो प्रोग्राम है, जो वायदे उन्होंने किए थे, उनको ध्यान में रखते हुए संविधान में तरमीम की गई है। उनके बारे में मैम्बर्ज को अगर यह पता न हो कि इसमें लिखा गया है, क्या तरमीम की गई है और उस पर पार्लियामैंट में क्या बहस हुई तो हमारे यहां बैठने

का कोई फायदा नहीं है। अगर मुख्य मंत्री महोदय या दूसरे मंत्रीगण ईमानदारी के साथ यह कह दइें कि इसकी कितनी धाराएं हैं तो मैं मान जाऊंगा।

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष महोदयय, यह क्या प्वायंट आफ आर्डर है ?

श्री उपाध्यक्षः चौधरी साहब आप बैठिए। This is not a point of order

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सारी बात क्लीयर कर देता हूं।

चौधरी रिजक रामः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी बात जब खत्मक हो जाए तो यह कह लें।

संविधान (पैंतालिसवां सं ाोधन) विधेयक, 1978

के अनुसमर्थन संबंधी सरकारी संकल्प

(चर्चा स्थगित)

Mr. Deputy Speaker: There is no point of order. आप बैठिए।

चौधरी रिजक रामः मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। डिप्टी स्पीकर साहब, गवर्नमैंट की तरफ से और मंत्री जी की तरफ

से यह कोि ा ा नहीं होनी चाहिए कि हाउस का मजाक बना जाए और हाउस की प्रोसीडिग्ज को ये संजीदगी से न लें।

Mr. Deputy Speaker: This is not a point of order. It is merely a suggestion. आप चौधरी राम लाल जी को सुन लिजिए।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसा है कि .....

श्री भाम ोर सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी आपने मंत्री महोदय को इस रैटिफिक ान के रैजोल्यू ान को मूव करने की इजाजत दी है। लेकिन इसके बारे में न तो कोई एजेन्डे की काफी हमको मिली है और न कोई और कागज मिला है। कल भााम 6 बजे जेल से इन्होंने हमें छोड़ा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक तो एजेन्डे के पूरे कागज हमें दिलाएं जाएं, दूसरे इस पर आज जो डिस्क ान होने जा रही है इसके कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहब, ऐसा है कि गवर्नमैंट के पास इतना ज्यादा एजेन्डा नहीं था कि सै ान का बुलाया जाए। इस बात पर हमारी आपस में डिस्क ान हुई थी और हमने यह महसूस किया था कि इतना ज्यादा बिजनैस नहीं है। कि इस हाउस को इतनी जल्दी बुलाया जाता लेकिन कुछ सदस्यों की तरफ से मांग आई, जिनमें अपोजी ान के सदस्य भी

थे, कि सै ान को भीघ्र बुलाया जाए। इस मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया गया कि कुछ सदस्य सै ान बुलाना चाहते हैं। उन्होंन मांग को मंजूर कर लिया। तो यह सै ान जल्दी में बुलाया गया और जितना बिजनैस पैंडिंग था इसे जल्दी में हाउस में रखा गया है। इसलिए यह जो बात कह रहे हैं यह सरकार की ओर से नहीं हुई बल्कि इनकी ओर से हुई है। सरकार तो कहती थी कि सै ान बुलाने में अभी समय लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्हें तो इस बात को ऐप्रि ाएट करना चाहिए था क्योंकि हमने बिजनैस को जल्दी से जल्दी तैयार करवा कर मैम्बर्ज को सै ान में भागल लेने का मौका दिया है।

श्री भाम ोर सिंहः पार्लियामैंटरी एफेयर्ज के मिनिस्टर ने खुद इस बात का मान लिया है कि वे ऐजन्डा तैयार नहीं कर सके। इसलिए अब कोई गुंजाई ा नहीं है कि इस पर डिस्क ान हो।(ाोर)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः पार्लियामैंटरी एफयर्ज मिनिस्टर ने साफ भाब्दों में यह बात कह दी है कि हमारे पास इतना काम नहीं था, इनता मैटीरियल नहीं था कि सै ान बुला सकें। इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि बहुत थोड़ा काम था लेकिन उसके बावजूद भी मैम्बर्ज को रेटिफिके ान की, लोक सभा और राज्य सभा की डिबेटस की कापी नहीं भेजी गई। हम कल भााम को जेल से रिहा हो कर आये हैं। हमारे घरों पर यह ऐजन्डा पहुंचना चाहिए था लेकिन वहां नहीं पहुंचा। इस रेटिफिके ान में

कांस्टीच्यू ान के फन्डामैंटल राइटस और डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज इनवाल्वड हैं। विधान के डायरेक्टिव प्रिंसीप्लज में तबदीली की गई है। हमें राज्य सभा और लोक सभा की डिबेटस की कापी मिलनी चाहिए थी। हमारे पास पहले कोई इन्फर्मे ान नहीं आई थी कि रैटिफिके ान करवानी है। 90 परसैंट मैम्बर को कापियां नहीं मिली हैं। (ाोर)

चौधरी राम लाल वधवा: मैं आज इस प्रस्ताव को केवल मूव कर देता हूं, अगर हाउस की यही राय है कि आज डिस्क ान नहीं होनी चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, 28 तारीख को डिस्क ा कर लें। हाउस की मर्जी है। (ाोर)

चौधरी जगजीत सिंह पहलू: डिप्टी स्पीकर साहब यहां पर कोई भी रैज्योर्लू ान या कानून बनाने के लिए बिल पे ा हो तो कम से कम चार दिन पहले उस एजेन्डे की कापी मिलनी चाहिए ताकि हम आराम से तैयार हो सकें। इसमें भी जल्दी करने की कोई बात नहीं है। (ाोर)

Mr. Deputy Speaker: This matter is nothing new. It has been pointed out earlier also.

चौधरी रामलाल वधवा: अगर आप 28 तारीख को ही डिस्कस करना चाहते हैं तो उस दिन कर लें, हमें कोई एतराज नहीं है। उसको मूव कर लेने दें। (ाोर)

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for the consideration of this Hon. House the following resolution –

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the provise to clause (2) of Articles 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty fifth Amendement) Bill, 1978, as passed by the two Houses of Parliament and the Short title of which has been changed into 'The Constitutions (Forty-fourth Amendment) Act, 1978.

Mr. Deputy Speakers: Motion moved-

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the provise to clause (2) of Articles 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Forty fifth Amendement) Bill, 1978, as passed by the two Houses of Parliament and the Short title of which has been changed into 'The Constitutions (Forty-fourth Amendment) Act, 1978.

संविधान (पैंतालिसवां सं ाोधन) विधेयक, 1978

के अनुसमर्थन संबंधी सरकारी संकल्प

(चर्चा स्थगित)

जो सदस्य आज इस रेटिफिके ान पर बोलना चाहते हैं वे आज बोल लें और जो आज नहीं बोलना चाहते वे 28 तारीख को बोल लें। (ाोर)

आवाजें: मिनिस्टर साहब ने पहले ही कह दिया है कि 28 तारीख को डिस्क ान होगी इसलिए आज बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है।

चौधरी खुर ीद अहमद: डिप्टी स्पीकर साहब विधान सभा सैक्रेटेरियट की डियूटी लगाई जाये कि हर मैम्बर को राज्य सभा और लोकसभा की डिबेट की कापी पहुंचाई जाये, जहां भी वे ठहरे हुए हैं। अभी तक हमें कापियां सप्लाई नहीं की गई हैं। मैम्बर्ज को सरकुलर इ ाू किया गया था कि वह डाकुमैंटस, पेपर्ज कुलैक्ट कर लें। यह नावल मैथड है और हाउस की कनवैन्ा ान से डिपार्चर है। मैम्बर्ज को डाकुमेंटस की काफी पहुंचाई जायें।

Local Government Minister (Chaudhari Ram Lal Wadhwa): Mr. Deputy Speaker, a circular letter No. HVS-LA-113/78/34030-109 was issued by the Vidhan Sabha Secretariat to all the Members on the 22nd December, 1978, on the subject of resulution regarding ratification of the

Amendment in the constitution of India under proviso to clause (2) of article 368. It reads-

"I have the honour to inform you that the notice has been received of the following resolution to be moved by a Minister in the ensuing session of the Haryana Vidhan Sabha commencing from the 26th December, 1978 :-

* * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

And the third para of this circular letter reads-

"The aforsaid documents will be delivered to the Hon'ble Members on their arrival at Chandigarh. The Members are therefore, requested to kindly collect the same either from the Reception-counter of the M.L.As. Hostel, Haryana, Sector-3, Chandigarh or from the Haryana Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh, on any day convenient to them".

चौधरी खुर शीद अहमदः सब मैंम्बर्ज के एड्रैसिज सैक्रेटेरियट के पास हैं और उनको इन डाकूमेंटस की काफी सप्लाई की जा सकती है।

श्री उपाध्यक्षः इनकी कापीज मिल जायेंगी। इस रेज्योलू ान पर डिस्क ान 28 तारीख को होगी।

चौधरी खुर शीद अहमदः विधान सभा सैक्रेरियट खुद कापियां भेजेगा या मैम्बर्ज को कुलैक्ट करनी पडेंगी।

श्री उपाध्यक्षः हम भिजवायेंगे।

चौधरी रिजक रामः मेरी गुजारि ा यह है कि जो सरकूलर 22 तारीख को इ ू किया गया उसमें लिखा था कि डाकुमैंटस मैम्बर्ज को चन्डीगढ़ पहुंचने पर डिलीवर किये जायेंगे। कुछ मैंम्बर्ज आज एक बजे तक वहां पहुंचे हैं और कुछ मैम्बर्ज 12 बजे पहुंचे होंगे। तो इन डाकूमेंटस को पढ़ने के लिए समय नहीं मिला है। जब तक इनाके पढ़ा न जाये इस इम्पोर्टेन्ट बिल पर कैसे विचार रखे जा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिए। 28 तारीख को इस रैज्योलू ान पर डिस्कसन होगी। आपको सारे पेपर्ज मिल जायेंगे।

Now the Minister may move the resolution under Article 252 of the Constitution of India.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अधीन सरकारी संकल्प

पंचायत एवं डेरी विकास मंत्री (चौधरी भजन लाल): मैं प्रस्ताव करता हूं–

"जब कि यह सभा विचार करती है कि प ु चिकित्सा प्र ि ाक्षण एवं व्यवसाय तथा उससे संबंधित अथवा उसके अधीन तथा प्रासंगिक सभी मामलों को विनियमित करने के लिए समस्त भारत में एक समान कानून वांछनीय है;

और जबकि ऐसे कानून के विशय का सम्बन्ध मुख्यतया भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 के इन्द्राज 15 और 32 और सूची 3 के इन्द्राज 26 में वर्णित मामलों से है।;

और जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में उपबंधित के सिवाए संसद को पूर्वाक्त सूची 2 के इन्द्राज 15 और 32 में वर्णित मामलों के सम्बन्ध में राज्यों के लिए ऐसा कानून बनाने की भाक्ति प्राप्त नहीं है;

और जबकि इस सभा को यहा वांछनीय प्रतीत होता है कि हरियाणा राज्य में प ु चिकित्सा प्रि ाक्षण एवं व्यवसाय तथा उससे संबंधित अथवा उसके अधीन तथा प्रासंगिक सभी मामलों को संसद द्वारा कननू से विनियमित किया जाए;

अतः, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 द्वारा प्रदत भाक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सभा दिनांक 17–10–1977 को पास किए गए अपने प्रस्ताव के अतिक्रमण में एतद द्वारा प्रस्तावित करती है कि हरियाणा राज्य में प ु चिकित्सा प्रि ाक्षण एवं व्यवसाय तथा उससे सम्बंधित अथवा उसके अधीन तथा प्रासंगिक सभी मामलों की (जिनमें पूर्वोक्त सूची 2 के इन्द्राज 32 में वर्णित मामले भाामिल है) संसद द्वारा कानून से विनियमित किए जाएं।"

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

"WHEREAS this Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the regulation of Veterinary training and practice and for all matters connected there with or ancillary and incidental thereto;

AND WHEREAS the subject matter of such a law is relatable mainly to matters enumerated in entries 15 and 32 in List II and entry 26 in List III, in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make such a law for the States with respect to the matters enumerated in entries 15 and 32 in List II afore said; except as provided in articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that veterinary training and practice and all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto should be regulated in the State of Haryana by Parliament by law;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves, insupersession of its resolution passed on 17-10-1977, that Veterinary traing and practise and all matter connected therewith or ancillary and incidental thereto (including matter enumerated in entry 32 in List II aforesaid) should be regulated in the State of Haryana by Parliament by law 22".

Mr. Deputy Speaker: Question is -----

"WHEREAS this Assembly considers that it is desirable to have a uniform law throughout India for the regulation of Veterinary training and practice and for all matters connected there with or ancillary and incidental thereto;

AND WHEREAS the subject matter of such a law is relatable mainly to matters enumerated in entries 15 and 32 in List II and entry 26 in List III, in the Seventh Schedule to the Constitution of India;

AND WHEREAS Parliament has no power to make such a law for the States with respect to the matters enumerated in entries 15 and 32 in List II afore said; except as provided in articles 249 and 250 of the Constitution of India;

AND WHEREAS it appears to this Assembly to be desirable that veterinary training and practice and all matters connected therewith or ancillary and incidental thereto should be regulated in the State of Haryana by Parliament by law;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of article 252 of the Constitution of India, this Assembly hereby resolves, insupersession of its resolution passed on 17-10-1977, that Veterinary traing and practise and all matter connected therewith or ancillary and incidental thereto (including matter enumerated in entry 32 in List II aforesaid) should be regulated in the State of Haryana by Parliament by law 22".

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the House stands adjouned till 9.30 A.M. tomorrow.

***16.31 बजे ।**

(The Sabha then *adjourjned till 9.30 A.M. on Wednesday the 27th December, 1978).

ANNEXURE 'A'

(Please See Foot Note on Page (1) 26

Nazool Land in the State

***774. Shri Jogi Ram:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) the total are of Nazool Land in Haryana at the time of the formation of Janata Government;

(b) the total area of the land out of that referred to in para(a) abvoe distributed amongst the Harijans so far;

(c) the total number of persons to whom the possession has been given; and

(d) the stps taken or proposed to be taken by Government for distribution of remaining land ?

राजस्व मंत्री (श्री प्रीत सिंह):

(ए) 1128 एकड़ 4 कनाल 9 मरले।

(ख) 192 एकड़।

(ग) 57 व्यक्ति।

(घ) भोश 936 एकड़ 4 कनाल 9 मरले भूमि में से केवल 488 एकड़ 1 कनाल 1 मरला भूमि अलाउटमैंट के योग्य है और बाकी भूमि तादादी 448 एकड़ 3 कनाल और 3 मरले मुकद्दमें बाजी, नदियों के बहाव अधीन तथा रहन आदि में ग्रस्त है। जिला

के सभी उपायुक्तों को ये भूमियां अलाट करने बारे भाक्तियां हैं और नजूल लैंड (हस्तान्तरण) नियम 1956 के अनुसार भूमि को अलाट करने बारे हरिजनों से प्रार्थना पत्र मांगे जा रहे हैं और पात्र व्यक्तियों को भूमि अलाट करने की कार्यवाही की जा रही है।